भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)
उत्तर प्रदेश सरकार

http://www.cag.gov.in

विषय सूची

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v से vii
अध्याय– I: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों का रुझान	1.1	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता	1.2	3
संग्रह की लागत	1.3	4
कर निर्धारण के बकाये मामले	1.4	4
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.5	5
लेखा परीक्षा के परिणाम	1.6	5
अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियॉं	1.7	6
लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का उत्तरवर्ती सारांश	1.8	7
पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन	1.9	7
अध्याय– II: व्यापार कर		
लेखा परीक्षा के परिणाम	2.1	9
कर का अनारोपण/कम आरोपण	2.2	10
माल के गलत वर्गीकरण के कारण कम करारोपण	2.3	12
गलत दर से करारोपण के कारण कम करारोपण	2.4	13
अर्थदण्ड का अनारोपण	2.5	14
ब्याज का प्रभारित न किया जाना	2.6	19
अनियमित छूट	2.7	20
प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण	2.8	21

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
अध्याय–III: राज्य आबकारी		
लेखा परीक्षा के परिणाम	3.1	23
देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के कम उठान के कारण आबकारी अभिकर की हानि	3.2	24
भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0) के अनियमित परिवर्तन के कारण आबकारी अभिकर की हानि	3.3	24
अध्याय–IV: माल एवं यात्री वाहनों पर कर		
लेखा परीक्षा के परिणाम	4.1	25
अन्तर्राज्यीय परिवहन व्यवस्था में कर, शुल्क एवं अर्थदण्ड इत्यादि का आरोपण एवं संग्रहण	4.2	26
यात्री वाहनों पर अतिरिक्त कर का कम आरोपण	4.3	36
अध्याय–V: स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस		
लेखा परीक्षा के परिणाम	5.1	37
सम्पत्ति तथा विभिन्न प्रकार के विलेखों के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क प्रभारित किये जाने में कमियाँ	5.2	38
अध्याय–VI: अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ		
लेखा परीक्षा के परिणाम	6.1	49
ब्याज प्राप्तियाँ		
ब्याज का भुगतान न किया जाना	6.2	50
वन्य प्राप्तियाँ		
राजकीय राजस्व का अनधिकृत रोक एवं उसका उपयोग	6.3	50
मार्गस्थ फीस का अनारोपण	6.4	51
मनोरंजन कर		
कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	6.5	52

प्राक्कथन

31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों, एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा–16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। इस प्रतिवेदन में व्यापार कर, राज्य आबकारी, भू राजस्व, माल एवं यात्री वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, राज्य के अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियों के लेखा परीक्षा परिणामों का प्रस्तुतिकरण है।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामलो में वे मामले हैं जो वर्ष 2007–08 में अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आये तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये ऐसे मामले, जिन्हें विगत वर्षों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो समीक्षाओं सहित 16 प्रस्तर सम्मिलित हैं जिनमें ब्याज, अर्थदण्ड, कर आदि के अनारोपण/कम आरोपण आदि से सम्बन्धित 1,035.85 करोड़ रुपये की धनराशि सन्निहित है। कुछ मुख्य तथ्य नीचे वर्णित हैं :

I. सामान्य

- उत्तर प्रदेश सरकार की वर्ष 2006–07 के दौरान 60,599.52 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियों के विरूद्ध वर्ष 2007–08 के लिए कुल प्राप्तियाँ 68,672.47 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकार द्वारा उगाहे गये 30,775.33 करोड़ रुपये के राजस्व में कर एवं करेतर राजस्व की क्रमशः 24,959.32 करोड़ रुपये तथा 5,816.01 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित है। भारत सरकार से 37,897.14 करोड़ रुपये की प्राप्तियाँ (विभाज्य संघीय अंश मदों में राज्य का भाग 29,287.74 करोड़ रुपये और सहायक अनुदान 8,609.40 करोड़ रुपये) थी। इस प्रकार राज्य सरकार कुल राजस्व का 45 प्रतिशत ही उगाह सकी। वर्ष 2007–08 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर (15,023.10 करोड़ रुपये) तथा विविध सामान्य सेवाओं पर (1,153.53 करोड़ रुपये) क्रमशः कर एवं करेतर राजस्व के मुख्य साधन थे।
(प्रस्तर 1.1)

- 31 मार्च 2008 को, जैसा कि सम्बन्धित विभागों ने सूचित किया है, मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व के बकाये के रूप में 11,658.61 करोड़ रुपये थे।
(प्रस्तर 1.5)

- वर्ष 2007–08 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, माल एवं यात्री वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, लोक निर्माण, वित्त विभाग, वन विभाग तथा मनोरंजन कर आदि के अभिलेखों की नमूना जॉच में 2,251.28 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण, कम आरोपण, राजस्व हानि के 1,986 मामलों का पता चला। वर्ष 2007–08 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 90.76 लाख रुपये की धनराशि वाले अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 144 मामले स्वीकार किये, जिनमें से 134 मामलों में 85.57 लाख रुपये मार्च 2008 तक वसूल कर लिये गये।
(प्रस्तर 1.6)

- 31 दिसम्बर 2007 तक निर्गत 8,688 निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें 2,642.28 करोड़ रुपये की धनराशि सन्निहित थी और 21,049 लेखा परीक्षा प्रस्तर सम्मिलित थे, जून 2008 तक लम्बित थे।
(प्रस्तर 1.7)

II. व्यापार कर

- बिना फार्म XXXI में घोषणा किये हुए प्रान्त बाहर से कर योग्य माल के आयात हेतु सात व्यापारी 1,156.50 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड के दायी थे।
(प्रस्तर 2.5.1)

- 17 व्यापारियों के मामलों में, यद्यपि छिपाये गये टर्न ओवर पर 6.83 करोड़ रुपये का कर तो आरोपित कर दिया गया था परन्तु 3.41 करोड़ रुपये का न्यूनतम अर्थदण्ड नहीं लगाया गया।

(प्रस्तर 2.5.2)

III. राज्य आबकारी

- देशी मदिरा के 127 अनुज्ञापी, जिन्होंने 1,33,072.581 बल्क लीटर की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा कम उठाई थी, 1.09 करोड़ रुपये के आबकारी अभिकर के दायी थे।

(प्रस्तर 3.2)

IV. माल एवं यात्री वाहनों पर कर

अन्तर्राज्यीय परिवहन व्यवस्था पर कर, शुल्क एवं अर्थदण्ड इत्यादि के आरोपण एवं संग्रहण पर की गयी एक समीक्षा में उद्घाटित तथ्य इस प्रकार है :

- कालबाधित बैंक ड्राफ्टों के नवीनीकरण न किये जाने से 1.64 करोड़ रुपये का राजस्व शासकीय लेखों से बाहर रहा।

(प्रस्तर 4.2.6.1)

- बिना प्रतिहस्ताक्षरित परमिट के संचालित वाहनों पर कर एवं अतिरिक्त कर के कम आरोपण तथा अर्थदण्ड के अनारोपण के फलस्वरूप 71.40 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

(प्रस्तर 4.2.8)

- माल वाहनों से कर एवं अतिरिक्त कर की वसूली न किये जाने से 5.16 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 4.2.10)

- वाहनों के यान भार पर कर के अनारोपण के फलस्वरूप 7.34 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

(प्रस्तर 4.2.11)

- आदशों के विलम्ब से प्रेषित किये जाने के फलस्वरूप 6 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

(प्रस्तर 4.2.12)

- अन्तर्राज्यीय मार्गों पर द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत संचालित मंजिली वाहनों पर अतिरिक्त कर के कम आरोपण के फलस्वरूप 2.51 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई:

(प्रस्तर 4.2.14)

V. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

सम्पत्ति तथा विभिन्न प्रकृति के विलेखों के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क प्रभारित किये जाने में कमियों, पर की गयी एक समीक्षा में उद्घाटित तथ्य इस प्रकार हैं :

- विकासशील क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपित किए जाने के प्रावधान के अस्तित्व में न होने के फलस्वरूप 344.19 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

  (प्रस्तर 5.2.6)

- औद्योगिक सम्पत्ति की बिक्री पर स्टाम्प शुल्क के अनारोपण के फलस्वरूप 36.72 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

  (प्रस्तर 5.2.7)

- आवासीय तथा वाणिज्यिक भूमि/ भवन के अवमूल्यांकन के फलस्वरूप 34.30 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ।

  (प्रस्तर 5.2.9)

- वृतीय दर के गलत निर्धारण के कारण स्टाम्प शुल्क के कम आरोपण के फलस्वरूप 2.93 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

  (प्रस्तर 5.2.14)

VI. अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ

- वन क्षेत्र से वन की उपज बाहर ले जाने हेतु 1.40 करोड़ रुपये की मार्गस्थ फीस की वसूली नेशनल हाइवे अथार्टी आफ इण्डिया के ठेकेदारों से नहीं की गयी।

  (प्रस्तर 6.4)

अध्याय–I
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

1.1.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से राज्य को प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं सहायक अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी ऑकड़े नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रुपये में)

क.सं.	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
I.	राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व					
	• कर राजस्व	13,601.23	15,692.61	18,857.90	22,997.97	24,959.32
	• करेतर राजस्व	2,282.08	2,720.29	2,930.32	6,532.64	5,816.01
	योग	**15,883.31**	**18,412.90**	**21,788.22**	**29,530.61**	**30,775.33**
II.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• अनुदान विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग	13,272.97	15,055.26	18,203.13	23,218.31	29,287.74[1]
	• सहायक अनुदान	2,481.69	4,149.28	5,357.80	7,850.60	8,609.40
	योग	**15,754.66**	**19,204.54**	**23,560.93**	**31,068.91**	**37,897.14**
III.	राज्य की कुल प्राप्तियाँ (I + II)	31,637.97	37,617.44	45,349.15	60,599.52	68,672.47
IV.	I से III की प्रतिशतता	**50**	**49**	**48**	**49**	**45**

उपरोक्त सारणी इंगित करती है कि वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों (68,672.47 करोड़ रुपये) का, विगत वर्ष के 49 प्रतिशत के विरूद्ध, 45 प्रतिशत था। 2007–08 की प्राप्तियों का शेष 55 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था।

1. विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2007–08 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–11, देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में वृहत लेखा शीर्षक 'अ– कर राजस्व' के अन्तर्गत–0020– निगम कर, 0021– आय और व्यय पर अन्य कर, 0028–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032– धन पर कर, 0037–सीमाकर, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क, 0044–सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क–राज्यों के समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गए राजस्व से निकाल दिया गया तथा 'विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में' शामिल किया गया है।

1.1.2 निम्नलिखित सारणी वर्ष 2003–04 से वर्ष 2007–08 की अवधि में उगाहे गये कर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है :

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं0	राजस्व शीर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2006–07 के सन्दर्भ में 2007–08 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	2006–07 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1.	व्यापार कर	7,684.13	8,888.31	11,284.67	13,278.82	15,023.10	(+) 1,744.28	(+) 13.13
2.	राज्य आबकारी	2,472.37	2,686.19	3,088.54	3,551.25	3,948.40	(+) 397.15	(+) 11.18
3.	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	2,296.06	2,682.36	2,996.78	4,513.67	3,976.68	(-) 536.99	(-) 11.89
4.	वाहनों पर कर	676.96	775.84	965.20	1,017.60	1,145.84	(+) 128.24	(+) 12.60
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	174.72	354.36	182.26	193.92	206.65	(+) 12.73	(+) 6.56
6.	भू राजस्व	117.67	102.44	108.69	187.52	392.53	(+) 205.01	(+) 109.32
7.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	92.78	112.28	114.76	131.57	137.50	(+) 5.93	(+) 4.50
8.	माल एवं यात्रियों पर कर	80.21	81.74	105.19	108.70	109.65	(+) 0.95	(+) 0.87
9.	अन्य (होटल प्राप्तियाँ, निगमित कर आदि)	6.33	9.09	11.81	14.92	18.97	(+) 4.05	(+) 27.14
	योग	**13,601.23**	**15,692.61**	**18,857.90**	**22,997.97**	**24,959.32**	**(+) 1,961.35**	**(+) 8.52**

परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि 10 प्रतिशत से अधिक भिन्नता का कारण, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से यात्री कर के बकाये की वसूली है। अन्य विभागों ने भिन्नता के कारणों को आग्रह किये जाने (जुलाई 2008) के बाद भी सूचित नहीं किया (नवम्बर 2008)।

1.1.3 निम्नलिखित सारणी वर्ष 2003–04 से 2007–08 की अवधि में उगाहे गये करेतर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है :

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं0	राजस्व शीर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2006–07 के सन्दर्भ में 2007–08में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	2006–07 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1.	विविध सामान्य सेवाएँ	41.80	58.02	75.02	2,281.23	1,153.53	(-) 1,127.70	(-) 49.43
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	658.09	597.93	457.94	828.86	1,247.84	(+) 418.98	(+) 50.54
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	60.96	107.42	161.98	212.37	294.80	(+) 82.43	(+) 38.81
4.	वृहत् एवं मध्यम सिंचाई	136.10	176.60	53.78	143.29	319.43	(+) 176.14	(+) 122.92
5.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	227.68	581.02	934.81	814.96	1,217.62	(+) 402.66	(+) 49.40
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	116.91	128.23	99.96	99.71	146.10	(+) 46.39	(+) 46.52
7.	अलौह धातु उत्खनन एवं धातु मय उद्योग	251.05	292.01	354.60	345.34	395.20	(+) 49.86	(+) 14.43
8.	पुलिस	75.91	97.58	96.66	209.60	147.17	(-) 62.43	(-) 29.78

क्र. सं0	राजस्व शीर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2006–07 के सन्दर्भ में 2007–08में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	2006–07 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
9.	क्रॉप हस्बेन्ड्री	188.73	18.60	40.84	33.96	51.03	(+) 17.07	(+) 50.26
10.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	33.65	17.25	14.23	15.77	19.73	(+) 3.96	(+) 25.11
11.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	42.69	42.03	39.75	62.67	72.11	(+) 9.44	(+) 15.06
12.	लघु सिंचाई	18.53	12.53	21.21	33.02	31.41	(-) 1.61	(-) 4.87
13.	सड़क एवं सेतु	41.79	31.67	55.36	58.83	74.24	(+) 15.41	(+) 26.19
14.	लोक निर्माण	19.92	31.44	36.09	26.59	34.03	(+) 7.44	(+) 27.98
15.	सहकारिता	7.57	8.15	6.27	7.02	6.33	(-) 0.69	(-) 9.82
16.	अन्य	360.70	519.81	481.82	1,359.42	605.44	(-) 753.98	(-) 55.46
	योग	**2,282.08**	**2,720.29**	**2,930.32**	**6,532.64**	**5,816.01**	**(-) 716.63**	**(-) 10.96**

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के कारणों को आग्रह किये जाने (जुलाई 2008) के बाद भी सूचित नहीं किया, (नवम्बर 2008) ।

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता

राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 के लिये राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता नीचे दी गयी है :

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं0	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियॉं	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (–)	भिन्नता की प्रतिशतता
कर राजस्व					
1.	व्यापार कर	17,314.10	15,023.10	(-) 2,291.00	(-) 13.23
2.	राज्य आबकारी	4,192.00	3,948.40	(-) 243.60	(-) 5.81
3.	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	4,276.00	3,976.68	(-) 299.32	(-) 7.00
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	707.00	109.65	(-) 597.35	(-) 84.49
5.	वाहनों पर कर	826.30	1,145.84	(+) 319.54	(+) 38.67
6.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	133.46	137.50	(+) 4.04	(+) 3.03
7.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	240.05	206.65	(-) 33.40	(-) 13.91
8.	भू राजस्व	102.73	392.53	(+) 289.80	(+) 282.10
करेतर राजस्व					
1.	विविध सामान्य सेवाएँ	1,149.68	1,153.53	(+) 3.85	(+) 0.33
2.	ब्याज प्राप्तियॉं	1,664.82	1,247.84	(-) 416.98	(-) 25.05
3.	वानिकी एवं वन जीवन	185.15	294.80	(+) 109.65	(+) 59.22
4.	वृहत् एवं मध्यम सिंचाई	53.77	319.43	(+) 265.66	(+) 494.07
5.	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	85.63	1,217.62	(+) 1,131.99	(+) 1,321.95
6.	अलौह धातु उत्खनन एवं धातुमय उद्योग	448.96	395.20	(-) 53.76	(-) 11.97

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के कारणों को आग्रह किये जाने (जुलाई 2008) के बाद भी सूचित नहीं किया (नवम्बर 2008) ।

1.3 संग्रह की लागत

वर्ष 2005–06, 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत सकल संग्रह और सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ ही साथ वर्ष 2006–07 के दौरान सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रासंगिक अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे दी गयी हैं :

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं0	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से संग्रह की लागत की प्रतिशतता	वर्ष 2006–07 के लिए अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता
1.	व्यापार कर	2005-06	11,284.67	193.51	1.71	0.82
		2006-07	13,278.82	200.19	1.51	
		2007-08	15,023.10	228.19	1.52	
2.	माल तथा यात्री वाहनों पर कर	2005-06	1,070.39	31.27	2.92	2.47
		2006-07	1,126.30	30.25	2.69	
		2007-08	1,255.49	36.15	2.87	
3.	राज्य आबकारी	2005-06	3,088.54	33.39	1.08	3.30
		2006-07	3,551.25	37.34	1.05	
		2007-08	3,948.40	44.57	1.13	
4.	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	2005-06	2,996.78	52.55	1.75	2.33
		2006-07	4,513.67	61.36	1.36	
		2007-08	3,976.68	72.71	1.83	

इस प्रकार व्यापार कर तथा माल एवं यात्री वाहनों पर कर के अन्तर्गत संग्रह की लागत वर्ष 2006–07 के अखिल भारतीय औसत प्रतिशत से ज्यादा थी ।

1.4 कर निर्धारण के बकाये मामले

व्यापार कर विभाग द्वारा वर्ष 2003–04 से 2007–08 की अवधि में बताये गये, वर्ष के प्रारम्भ में बकाया कर निर्धारण के मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु प्राप्त अतिरिक्त मामले, वर्ष के दौरान निस्तारित मामले तथा वर्ष के अन्त में निस्तारण हेतु अवशेष मामलों का विवरण, नीचे दिया गया है :

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु प्राप्त मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में अवशेष मामले
2003-04	4,75,512	4,83,428	9,58,940	4,76,263	4,82,677
2004-05	4,82,677	5,87,405	10,70,082	5,39,360	5,30,722
2005-06	5,30,722	5,33,349	10,64,071	5,22,962	5,41,109
2006-07	5,41,109	6,00,531	11,41,640	5,64,532	5,77,108
2007-08	5,76,968[2]	6,19,710	11,96,678	2,58,011	9,38,667

बकाया मामले प्रतिवर्ष स्थिर गति से बढ़ रहे हैं। कर निर्धारण के बकाये मामलों के निस्तारण के लिये विभाग को समुचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

2. विभाग द्वारा सूचित ऑकड़ों में गत वर्ष के प्रतिवेदन के तारतम्य में भिन्नता है। पूछे जाने पर विभाग द्वारा बताया गया (नवम्बर 2008) कि अन्तर लिपिकीय त्रुटि के कारण है। वर्ष 2007–08 का प्रारम्भिक अवशेष का ऑकड़ा सही है।

1.5 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2008 को कुछ प्रमुख राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व के बकाये की धनराशि 11,658.61 करोड़ रुपये थी जिसमें से 4,903.09 करोड़ रुपये की व्यापार कर की राशि पॉच वर्षों से अधिक लम्बित थी, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2008 को बकाये की धनराशि	31 मार्च 2008 को 5 वर्ष से अधिक पुराने बकाये	टिप्पणी
1.	व्यापार कर	11,081.94	4,903.09	11,081.94 करोड़ रुपये में से 794.91 करोड़ रुपये की मॉग भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दी गयी थी । न्यायालयों/सरकार द्वारा 1,306.59 करोड़ रुपये की वसूली स्थगित कर दी गयी थी। सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों पर 205.35 करोड़ रुपये की वसूली बकाया थी। 1,278.55 करोड़ रुपये की मॉग के अपलिखित होने की सम्भावना थी। 35.10 करोड़ रुपये का बकाया ट्रान्सपोर्टरों पर था। 929.70 करोड़ रुपये की वसूली के लिए, वसूली प्रमाणपत्र दूसरे राज्यों को भेज दिये गये हैं। वसूली प्रमाण पत्र से अनाच्छादित 6,531.74 करोड़ रुपये का बकाया विभाग की विशेष कार्यवाही के अन्तर्गत था।
2.	मनोरंजन कर	11.74	4.40	11.74 करोड़ रुपये में से 5.55 करोड़ रुपये की मॉग भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दी गयी थी । न्यायालयों/सरकार द्वारा 5.72 करोड़ रुपये की वसूली स्थगित कर दी गयी थी। शेष 47 लाख रुपये की धनराशि के लिए नोटिस जारी कर दी गयी है।
3.	राज्य आबकारी	58.90	उपलब्ध नहीं	58.90 करोड़ रुपये में से 29.60 करोड़ रुपये की मॉग भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दी गयी थी। 23.64 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालय द्वारा तथा 2.61 करोड रुपये की वसूली शासन/विभाग द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 3.05 करोड़ रुपये की मांग को बट्टे खाते में डाला जाना सम्भावित था।
4.	स्टाम्प एवं निबन्धन	422.91	उपलब्ध नहीं	422.91 करोड़ रुपये मे से 101.06. करोड़ रुपये की मॉग भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दी गयी थी। 27.10 करोड़ रुपये की मॉग न्यायालयों द्वारा समाप्त कर दी गयी थी। 193.93 करोड़ रुपये की मॉग विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। शेष 100.82 करोड़ रुपये की मॉग वसूली के लिए लम्बित थी।
5.	भू राजस्व	11.38	उपलब्ध नहीं	11.38 करोड़ रुपये की मॉग में से 1.55 करोड़ रुपये की मॉग शासन द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। शेष 9.83 करोड़ रुपये की मॉग वसूली हेतु लम्बित थी।
6.	माल तथा यात्री वाहनों पर कर मार्ग कर 13.69 माल कर 15.45 यात्री कर 42.60 71.74	71.74	उपलब्ध नहीं	71.74 करोड़ रुपये की मॉग में से 0.66 करोड़ रूपये और 0.15 करोड़ रुपये की मॉग क्रमशः न्यायिक और प्रशासनिक आदेशों के द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 0.14 करोड़ रुपये की मॉग को बट्टे खाते में डाला जाना सम्भावित था। शेष 70.79 करोड़ रुपये की मॉग वसूली के लिये लम्बित थी।
	योग	**11,658.61**	**4,907.49**	

1.6 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2007–08 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, माल एवं यात्री गाड़ियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, लोक निर्माण, वित्त विभाग, वन एवं मनोरंजन कर आदि विभाग के अभिलेखों की नमूना जॉच में 1,986 मामलों से सम्बन्धित 2,251.28 करोड़ रुपये के कर के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व क्षति के मामले प्रकाश में आये। वर्ष 2007–08 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 144 मामलों में 90.76 लाख रुपये

के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों आदि के मामले स्वीकार किये जिनमें से 134 मामलों में 85.57 लाख रुपये मार्च 2008 तक वसूल किये गये थे।

इस प्रतिवेदन में 1,035.85 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रभाव की दो समीक्षाओं सहित 16 प्रस्तर हैं। विभागों/सरकार द्वारा 927.83 करोड़ रुपये की लेखा परीक्षा आपत्तियां स्वीकार की गईं, जिनमें से 8.83 करोड़ रुपये सितम्बर 2008 तक वसूल किये गये थे ।

1.7 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार सम्व्यवहारों की नमूना जॉच और महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के रखरखाव के सत्यापन हेतु महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) द्वारा सरकारी विभागों का समयावधिक निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि0प्रति0) के द्वारा प्रतिवेदित किया जाता है । निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताओं का जब तत्काल समाधान नहीं हो पाता तो निरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को तथा उनके उच्चतर अधिकारियों को प्रतिलिपि के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। अति महत्वपूर्ण अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर दो माह की अवधि के अन्दर देना अपेक्षित होता है।

31 दिसम्बर 2007 तक राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या, जिनका निस्तारण 30 जून 2008 तक विभागों द्वारा लम्बित था, साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तद्नुरूपी ऑकड़े नीचे दिये गये हैं :

क्र. सं.		2006	2007	2008
1.	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	7,832	9,524	8,688
2.	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	19,257	21,445	21,049
3.	निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	4,225.60	4,782.48	2,642.28

जून 2008 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन, लेखा परीक्षा आपत्तियॉ एवं सन्निहित धनराशि का विभागवार विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	वर्ष जिनसे आपत्तियाँ सम्बन्धित हैं
1.	वानिकी एवं वन्य जीवन	905	. 1,716	1,004.95	1991-92 से 2007-08
2.	व्यापार कर	2,060	8,221	567.17	1984-85 से 2007-08
3.	राज्य आबकारी	830	1,191	391.32	1984-85 से 2007-08
4.	भू राजस्व	696	1,030	29.46	1987-88 से 2007-08
5.	माल तथा यात्री वाहनों पर कर	972	2,949	139.49	1984-85 से 2007-08
6.	लोक निर्माण	519	811	33.96	1986-87 से 2007-08
7.	सिंचाई	374	648	81.84	1984-85 से 2007-08
8.	गन्ने के कय पर कर	96	111	53.51	1985-86 से 2007-08
9.	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1,350	3,093	116.74	1983-84 से 2007-08
10.	कृषि	208	311	22.55	1985-86 से 2007-08
11.	विद्युत शुल्क	275	349	167.07	1988-89 से 2007-08
12.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	114	179	19.61	1991-92 से 2007-08
13.	सहकारिता	106	115	5.98	1985-86 से 2007-08
14.	मनोरंजन कर	116	143	5.02	1994-95 से 2007-08
15.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	64	179	3.59	2002-03 से 2007-08
16.	कारागार	03	03	0.02	2002-03 से 2007-08
	योग	**8,688**	**21,049**	**2,642.28**	

चूँकि बकाये की धनराशि वसूल न किये गये राजस्व को इंगित करती है अतः सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाये गये प्रकरणों पर तेज एवं प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

1.8 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का उत्तरवर्त्ती – सारांश

विभिन्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चित प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों और समीक्षाओं पर, चाहे वह लोक लेखा समिति द्वारा परीक्षण हेतु लिए गये हों या न लिये गये हों; विभाग द्वारा स्वतः कदम उठाने के लिये वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। 2002–03 से 2006–2007 की अवधि के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में, जो पहले ही राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं, सम्मिलित 85 प्रस्तरों / समीक्षाओं से सम्बन्धित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ तीन माह की निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी अगस्त 2008 तक लेखा परीक्षा कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई थीं। वर्ष 2002–03 से अवशेष व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण नीचे वर्णित हैं :

प्रतिवेदन का वर्ष	विधायिका के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखने की तिथि	लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों / समीक्षाओं की संख्या	प्रस्तरों / समीक्षाओं की संख्या जिन पर विभाग द्वारा व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हो चुकी हैं	प्रस्तरों / समीक्षाओं की संख्या जिन पर विभाग द्वारा व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं
2002–03	08 नवम्बर 2004	26	11	15
2003–04	20 जुलाई 2005	25	10	15
2004–05	11 मार्च 2006	22	12	10
2005–06	25 जनवरी 2007	21	00	21
2006–07	15 फरवरी 2008	24	00	24
योग		**118**	**33**	**85**

1.9 पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2002–03 से 2006–07 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में 3,468.26 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण, करों के कम आरोपण / अनारोपण, राजस्व क्षति, मांग सृजित करने में असफलता आदि के मामले प्रतिवेदित किये गये थे। सम्बन्धित विभागों द्वारा अगस्त 2008 तक 253.96 करोड़ रुपये की आपत्तियाँ स्वीकार की गयीं और 1.43 करोड़ रुपये की वसूली की गई। लेखा परीक्षा प्रतिवेदनवार स्वीकार किये गये मामलों तथा वसूली का विवरण नीचे वर्णित हैं :

(करोड़ रुपये में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धनराशि	स्वीकृत धनराशि	वसूल की गयी धनराशि
2002-03	1,546.48	109.91	0.05
2003-04	473.20	104.01	0.12
2004-05	449.74	30.39	1.18
2005-06	906.66	7.91	0.05
2006-07	92.18	1.74	0.03
योग	**3,468.26**	**253.96**	**1.43**

अध्याय–II
व्यापार कर

2.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2007–08 के दौरान व्यापार कर कार्यालयों के कर निर्धारण एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जॉच में अर्थदण्ड/ब्याज के अनारोपण अथवा कम आरोपण, कर की अनियमित छूट, माल के गलत वर्गीकरण, गलत दर से करारोपण, कम कर के आरोपण अथवा अनारोपण इत्यादि से सम्बन्धित 1,191.14 करोड़ रुपये के 1,210 मामले पाये गये जो निम्निलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

क0सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण/ कम आरोपण	472	1,171.14
2.	गलत/कम कर का आरोपण	261	8.83
3.	अनियमित कर मुक्ति का दिया जाना	222	5.91
4.	माल का गलत वर्गीकरण	32	1.45
5.	केन्द्रीय बिक्री कर से सम्बन्धित अनियमितताएं	40	0.56
6.	गणना की त्रुटि	36	0.30
7.	टर्नओवर पर कर लगने से छूट जाना	9	0.15
8.	अन्य अनियमितताएं	138	2.80
	योग	**1,210**	**1,191.14**

वर्ष 2007–08 के दौरान विभाग ने 124 मामलों में 51.45 लाख रुपये के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से 5.19 लाख रुपये के 11 मामले वर्ष 2007–08 में इंगित किये गये थे और शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों के थे। विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 के दौरान 114 मामलों में 46.26 लाख रुपये की वसूली की गयी जिनमें से 3.96 लाख रुपये के नौ मामले वर्ष 2007–08 से सम्बन्धित थे तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों के थे।

838.92 करोड़ रुपये के कुछ निदर्शी मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं।

2.2 कर का अनारोपण/कम आरोपण

2.2.1 उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम) के अन्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार कर आरोपणीय है। ऐसी वस्तुयें जो कहीं भी वर्गीकृत नहीं हैं, उन पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। पुनश्च, विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वि0व्या0अधिनियम) की धारा 2(जी) के अन्तर्गत लाइसेंस से तात्पर्य आयात या निर्यात लाइसेंस से है जिसमें अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई सीमा शुल्क निकासी अनुज्ञप्ति एवं दूसरी अन्य अनुज्ञप्ति सम्मिलित हैं। ड्यूटी इन्टाइटिलमेण्ट पास बुक (डी0ई0पी0बी0) भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा लाया गया एक निर्यात प्रोत्साहन है। 13 अगस्त 2003 को जारी एक परिपत्र द्वारा विभाग ने स्पष्ट किया कि वि0व्या0 अधिनियम की धारा–2(जी) के अन्तर्गत डी0ई0पी0बी0 आयात लाइसेन्स के अन्तर्गत आच्छादित है और 17 फरवरी 2000 की अधिसूचना के द्वारा आयात लाइसेन्स कर मुक्त है जबकि डी0ई0पी0बी0 किसी भी लाइसेन्स की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है।

दो व्यापार कर कार्यालयों[1] के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मई 2005 से सितम्बर 2005 के मध्य 2001–02 से 2002–03 के दौरान दो व्यापारियों ने 82.94 करोड़ रुपये के डी0ई0पी0बी0 की बिक्री की। कर निर्धारण प्राधिकारियों (क0नि0प्रा0) ने दिसम्बर 2003 एवं मई 2005 के मध्य कर निर्धारण करते समय डी0ई0पी0बी0 की बिक्री को आयात लाइसेंस मानते हुए 13 अगस्त 2003 के परिपत्र के अन्तर्गत उसे करमुक्त कर दिया जबकि डी0ई0पी0बी0 लाइसेंस नहीं है। निर्यात प्रोत्साहन को लाइसेंस की तरह मानने से 8.29 करोड़ रुपये के कर का अनारोपण हुआ।

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने मार्च 2007 में बताया कि कानपुर के मामले में 1.81 लाख रुपये का कर आरोपित कर दिया गया है जबकि उसी प्रकार के दूसरे मामले में आपत्ति स्वीकार नहीं की गयी। उपरोक्त समान प्रकृति की आपत्ति को स्वीकार न किये जाने के कारणों को पूछे जाने पर भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2008)।

मामले को विभाग एवं शासन को अगस्त 2005 एवं जनवरी 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2008)।

2.2.2 उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 15 जनवरी 2000 को शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार फोटोग्राफिक कागज की बिक्री पर 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। पुनश्च, फोटोग्राफिक कागज पर प्रवेश कर आरोपणीय नहीं है।

डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण), व्यापार कर (व्या0क0) गुलावटी के कार्यालय के अभिलेखों की दिसम्बर 2006 में की गई नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक व्यापारी ने वर्ष 2003–04 के दौरान 16.32 करोड़ रुपये मूल्य के फोटोग्राफिक कागज की बिक्री की थी। व्यापारी 1.31 करोड़ रुपये के व्यापार कर का दायी था जिसके विरूद्ध उसने 65.10 लाख रुपये के प्रवेश कर का भुगतान किया। फलस्वरूप व्यापारी द्वारा भुगतान किये गये प्रवेश कर की राशि को लेने के पश्चात् 65.90 लाख रुपये के राजस्व का कम आरोपण हुआ।

[1] डि0क0(क0 नि0) 19, व्या0 क0, कानपुर एवं अ0 क0, व्या0क0, कोसीकलॉं, मथुरा।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2007); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2008)।

2.2.3 यह न्यायिक रूप से निर्णीत[2] किया जा चुका है कि वारण्टी क्लेम[3] कर योग्य टर्न ओवर का भाग है।

पॉच व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की अक्टूबर 2005 और जुलाई 2007 के मध्य नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 2001–02 से 2004–05 तक की अवधि में छः व्यापारियों ने मोटर वाहन एवं कम्प्यूटर के खराब पुर्जों के बदले वारण्टी दावे के रूप में 1.06 करोड़ रुपये प्राप्त किये। क0नि0प्रा0 ने अक्टूबर 2003 एवं मार्च 2007 के मध्य कर निर्धारण करते समय इसे कर योग्य टर्न ओवर में सम्मिलित नहीं किया। फलस्वरूप 7.80 लाख रुपये के कर का अनारोपण हुआ जो नीचे वर्णित है :

(लाख रुपये में)

क. सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	माल का नाम (कर की दर प्रतिशत में)	अनारोपित टर्न ओवर	आरोपणीय कर
1.	डि0क0(क0नि0) VI व्या0क0, लखनऊ	2004–05 (मार्च 2007)	कम्प्यूटर के पुर्जे (4)	61.35	2.45
2.	डि0क0 (क0नि0) I व्या0क0, सहारनपुर	2001–02 (अक्टूबर 03)	मोटर वाहनों के पुर्जे (12)	7.16	0.86
		2002–03 (अक्टूबर 2004)		4.35	0.52
3.	डि0क0 (क0नि0) व्या0क0, बहराइच	2003–04 (दिसम्बर 05)	मोटर वाहनों के पुर्जे (12)	5.92	0.71
		2004–05 (नवम्बर 06)		5.45	0.65
4.	डि0क0 (क0नि0) व्या0 क0, बस्ती	2002–03 (मार्च 2005)	मोटर वाहनों के पुर्जे (12)	9.60	1.15
5.	डि0क0 (क0नि0) I व्या0क0, लखनऊ	2003–04 (अप्रैल 2005)	मोटर वाहनों के पुर्जे (12)	6.77	0.81
		2002–03 (जुलाई 04)	मोटर वाहनों के पुर्जे (12)	1.66	0.20
		2003–04 (जून 2005)		3.72	0.45
योग				**105.98**	**7.80**

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने बताया कि अक्टूबर 2007 एवं फरवरी 2008 के मध्य कम सं0 3 के एक प्रकरण (2003–04) एवं कम0 सं0 2, 4 व 5 के सम्बन्ध में 4.70 लाख रुपये का कर आरोपित कर दिया गया है। वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (सितम्बर 2008)।

मामले विभाग एवं शासन को दिसम्बर 2005 एवं सितम्बर 2007 के मध्य प्रतिवेदित किये गये थे, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2008)।

[2] मो0 इकराम खान एण्ड सन्स बनाम कमिश्नर व्यापार कर, 2003 की सिविल अपील संख्या 9,618,एस0सी0।

[3] निश्चित अवधि में दूषित पुर्जों के बदले में प्राप्त धनराशि।

2.3 माल के गलत वर्गीकरण के कारण कम करारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर कर आरोपणीय होता है। ऐसी वस्तुओं पर, जो निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं, 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

नौ व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की सितम्बर 2005 से फरवरी 2008 के मध्य नमूना जॉच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि नौ व्यापारियों के मामलों में क0नि0प्रा0 ने मार्च 2005 एवं मार्च 2007 के मध्य वर्ष 2000–01 से 2005–06 के लिए कर निर्धारण करते समय 13.32 करोड़ रुपये के माल की बिक्री पर गलत वर्गीकरण के कारण गलत दर से कर लगाया। फलस्वरूप 96.79 लाख रुपये का कर कम आरोपित हुआ जो कि नीचे वर्णित है :

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	अनियमितता की प्रकृति	टर्नओवर	कर की दर आरोपणीय / आरोपित (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
1.	डि0क0 (क0नि0) I व्या0 क0, अलीगढ़	2000–01 (मार्च 2005)	नायसिल पाउडर को सौन्दर्य प्रसाधन के स्थान पर दवा माना गया।	19.54	15 / 8	1.37
		2002–03 (मार्च 2005)		853.19	16 / 8	68.26
2.	डि0क0 (क0नि0) I व्या0 क0, गोरखपुर	2004–05 (दिसम्बर 2006)	संरक्षित खाद्य सामग्री को मिठाई एवं नमकीन माना गया।	32.12	12 / 5	2.25
3.	अ0क0 खण्डVIII व्या0 क0, आगरा	2003–04 (मई 2006)	पेट्रोलियम आधारित तेल को निष्प्रयोज्य सामग्री माना गया।	16.57	20 / 5	2.49
4.	डि0क0 (क0नि0) VII व्या0 क0, कानपुर	2004–05 (मार्च 2005)	कैनवस कपड़े को टाटपट्टी माना गया।	15.14	10 / 5	0.76
5.	डि0क0 (क0नि0) II व्या0 क0, बरेली	2003–04 (नवम्बर 2005)	पालीयूरेथीन फोम के कटे हुये टुकड़ों को वेस्ट उत्पाद माना गया।	69.72	10 / 5	3.49
		2004–05 (मार्च 2007)		65.71		3.28
6.	डि0क0 (क0नि0) XIII व्या0 क0, कानपुर	2003–04 (जुलाई 2005)	सिन्थेटिक रेजिन को रेजिन के बजाय केमिकल माना गया।	178.51	10 / 4	10.71
7.	डि0क0 (क0नि0) VIII व्या0 क0, नोएडा	2004–05 (मार्च 2007)	सीलबन्द पैकटों में बिक्रीत संरक्षित खाद्य सामग्री को पका हुआ भोजन माना गया।	42.08	12 / 8	1.68
8.	डि0क0 (क0नि0) व्या0 क0, मोदी नगर	2005–06 (अक्टूबर 2006)	खली को जैविक खाद माना गया।	21.41	10 एवं 4 / शून्य	1.44
9.	अ0क0 खण्ड VII व्या0 क0, लखनऊ	2004–05 (जनवरी 2007)	बिजली के समानों को इलेक्ट्रानिक वस्तु माना गया।	17.69	10 / 4	1.06
	योग			**1,331.68**		**96.79**

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने सितम्बर 2007 एवं सितम्बर 2008 के मध्य बताया कि क्रम सं0 3, 6 व 8 के मामलों में 14.64 लाख रुपये का कर आरोपित कर दिया गया है। वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2008)।

मामला शासन को अप्रैल 2006 एवं मार्च 2008 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2008)।

2.4 गलत दर से करारोपण के कारण कम करारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत, शासन द्वारा समय–समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर कर आरोपणीय होता है। ऐसी वस्तुएं जो किसी भी दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं होती हैं, उन पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

पॉच व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की सितम्बर 2005 से जुलाई 2007 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पॉच व्यापारियों के मामलों में क0नि0प्रा0 ने जनवरी 2004 एवं दिसम्बर 2006 के मध्य कर निर्धारण करते समय 2.13 करोड़ रुपये के टर्नओवर पर कम दर से कर आरोपित किया। फलस्वरूप 7.69 लाख रुपये का कर कम आरोपित हुआ जैसा कि नीचे वर्णित है :

(लाख रुपये में)

क. सं.	इकाईयों के नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	टर्न ओवर	आरोपणीय / आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर की राशि
1.	डि0क0(क0नि0) V व्या0क0, गाजियाबाद	2001–02 (जनवरी 2004)	पालीयूरिथीन फोम	62.52	16 / 10	3.75
2.	डि0क0(क0नि0) V व्या0 क0, वाराणसी	2002–03 (फरवरी 2005)	आटो टायर एवं ट्यूब्स	47.10	12 / 08	1.88
3.	अ0क0 खण्ड I व्या0 क0, सीतापुर	2002–03 (मार्च 2005)	पी0वी0सी0 जूते चप्पल	13.25	08 / 04	0.53
4.	डि0क0(क0नि0)VII व्या0 क0, कानपुर	2003–04 (जनवरी 2006)	इत्र	20.17	16 / 15	0.20
		2004–05 (दिसम्बर 2006)		48.30	16 / 15	0.48
5.	डि0क0(क0नि0)XII व्या0 क0, कानपुर	2002–03 (अक्टूबर 2004)	आटो टायर एवं ट्यूब्स	16.57	12 / 08	0.66
		2003–04 (जून 2005)		4.68	12 / 08	0.19
योग				**212.59**		**7.69**

दिसम्बर 2005 व जुलाई 2007 के मध्य मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने नवम्बर 2007 में बताया कि क्रम सं0 1 से 3 तक के मामलों में 6.16 लाख रुपये का कर आरोपित कर दिया गया है। वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2008)।

मामला शासन को दिसम्बर 2005 एवं जुलाई 2007 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2008)।

2.5 अर्थदण्ड का अनारोपण

2.5.1 उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत, एक पंजीकृत व्यापारी, राज्य के बाहर से कर योग्य माल के आयात हेतु सड़क, रेल, नदी अथवा वायु मार्ग से आयात किये जाने वाले माल के बारे में फार्म XXXI में एक घोषणा अपने क0नि0प्रा0 के समक्ष प्रस्तुत करेगा। आयात कर्ता इस माल की आपूर्ति तब तक नहीं लेगा जब तक कि वह क0नि0प्रा0 को सम्यक रूप से भरे गये व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र को दो प्रतियों में, पृष्ठांकन हेतु प्रस्तुत न कर दे। इन प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति या व्यापारी को आयात किये गये माल के मूल्य के 40 प्रतिशत से अनाधिक या ऐसे माल पर आरोपणीय कर का तीन गुना, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। पुनश्च, कमिश्नर, व्यापार कर ने अक्टूबर 2005 में घोषणा पत्रों से अनाच्छादित माल के आयात पर समय से अर्थदण्ड की कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे।

पॉच व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की दिसम्बर 2005 एवं अक्टूबर 2007 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि छः व्यापारियों ने राज्य के बाहर से 2,451.99 करोड़ रुपये मूल्य के माल का आयात बिना फार्म XXXI में घोषणा किये हुए किया। क0नि0प्रा0 ने सितम्बर 2004 एवं मार्च 2007 के मध्य 2002–03 से 2004–05 तक के वर्षों का कर निर्धारण करते समय कर तो आरोपित कर दिया परन्तु माल के अनधिकृत आयात पर 1,156.45 करोड़ रुपये का अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि नीचे वर्णित है :

(करोड़ रुपये में)

क0 सं0	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	आयातित माल का मूल्य	वस्तु का नाम	अधिकतम आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	डि0क0 (क.नि.) II व्या0 क0, लखनऊ	2002–03 (फरवरी 2007)	767.83	सुपीरियर केरोसिन आयल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, फर्नेस आयल और नैप्था	347.19
		2003–04 (जून 2006)	693.64		345.52
		2004–05 (मार्च 2007)	986.05		461.95
		2004–05 (मार्च 2007)	1.25	सुपीरियर केरोसिन आयल	0.50
2.	अ0क0 खण्ड IX व्या0 क0, वाराणसी	2003–04 (मार्च 2006)	2.00	सोना	0.80
3.	डि0क0 (क0नि0) I व्या0 क0, गौतम बुद्ध नगर	2004–05 (नवम्बर 2006)	0.69	रा अगरबत्ती, रा अगरबत्ती सामग्री एवं पैकिंग सामग्री	0.28
4.	डि0क0(क0नि0) V व्या0 क0, नोएडा	2004–05 (नवम्बर 2006)	0.30	मसाले,बिस्कुट,चाऊमीन, दालें,चावल, आइसक्रीम, मिठाईयॉ एवं उपभोज्य सामग्रियॉ	0.12
5.	अ0क0 खण्ड XII व्या0 क0, कानपुर	2002–03 (सितम्बर 2004)	0.23	अगरबत्ती का कच्चा माल	0.09
योग			**2,451.99**		**1,156.45**

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने जनवरी 2008 में बताया कि क्रम सं0 5 व क्रम सं0 1 के तीन मामलों में 822.19 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2008)।

मामला शासन को जुलाई 2006 एवं फरवरी 2008 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2008)।

2.5.2 उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से सन्तुष्ट है कि एक व्यापारी ने अपना टर्नओवर छिपाया है अथवा जानबूझ कर अपने टर्नओवर के सम्बन्ध में गलत विवरण प्रस्तुत किया है तो वह ऐसे व्यापारी को, कर के अतिरिक्त, इस प्रकार बचाये गये कर के न्यूनतम 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 प्रतिशत तक की धनराशि को अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने हेतु निर्देशित कर सकता है।

14 व्यापार कर कार्यालयों[4] के अभिलेखों की दिसम्बर 2003 एवं फरवरी 2008 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 17 व्यापारियों ने 1995–96 से 2004–05 तक की अवधि में 170.62 करोड़ रुपये के विक्रय टर्नओवर को छिपाया। क0नि0प्रा0 ने फरवरी 1999 एवं मार्च 2006 के मध्य 1995–96 एवं 2003–04 के वर्षों हेतु कर निर्धारण करते समय 6.83 करोड़ रुपये का कर तो आरोपित किया परन्तु 3.41 करोड़ रुपये का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया । कुछ निदर्शी मामले नीचे वर्णित हैं :

(लाख रुपये में)

क. सं.	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	अपवंचित टर्न ओवर	वस्तु का नाम	अपवंचित टर्न ओवर पर आरोपित कर	न्यूनतम आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	डि0क0(क0नि0)–VII व्या0 क0, नोयडा	1997–98 (फरवरी–1999[5])	12,220.00	इलेक्ट्रानिक सामान	241.07	120.54
		2000–01 (फरवरी 2003)	522.50		5.13	2.56
2.	डि0क0(क0नि0) VIII व्या0 क0, आगरा	2000–01 (मार्च 2003)	350.00	वाहनों के पुर्जे तथा जूते	37.00	18.50
		2001–02 (मार्च 2003)	2,500.00		260.00	130.00
3.	अ0क0 खण्ड IX व्या0 क0, मेरठ	2003–04 (जून 2005)	450.00	वनस्पति घी	90.00	45.00
4.	अ0क0 व्या0 क0, चन्दौली	1995–96 (नवम्बर 2004)	258.76	कोयला	11.95	5.97
5.	डि0क0(क0नि0) I व्या0 क0, मुरादाबाद	2003–04 (नवम्बर 2004)	47.00	गोंद व टैलो	4.10	2.05
		2003–04 (मार्च 2006)	14.57	पका भोजन	1.12	0.56

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने फरवरी 2006 एवं सितम्बर 2008 के मध्य बताया कि 14 मामलों में 2.23 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया

[4] डि0क0(क0नि0)vi, व्या0क0, आगरा; अ0क0, खण्ड iv, व्या0क0, अलीगढ़; व्या0क0अ0, श्रेणी II, भरथना; अ0क0, व्या0क0, चन्दौली; डि0क0(क0नि0), व्या0क0, देवरिया; अ0क0, व्या0क0, गौतम बुद्ध नगर; अ0क0, व्या0क0, मऊ; अ0क0, खण्ड IX, व्या0क0, मेरठ; डि0क0(क0नि0), व्या0क0,मिर्जापुर; डि0क0(क0नि0) I, व्या0क0, मुरादाबाद; अ0क0, खण्ड I, व्या0क0, मुजफ्फरनगर; डि0क0(क0नि0)VII, व्या0क0, नोएडा; डि0क0(क0नि0), व्या0क0, शाहजहॉपुर तथा अ0क0, खण्ड I, व्या0क0, सीतापुर।

[5] मामला न्यायालय में विचाराधीन था और सितम्बर 2005 में निर्णीत हुआ।

है। वसूली की स्थिति व शेष मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2008)।

मामले शासन को जनवरी 2004 एवं मार्च 2008 के मध्य प्रतिवेदित किये गये थे ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2008)।

2.5.3 उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से सन्तुष्ट है कि कोई व्यापारी अथवा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपना देय कर निर्धारित समय में जमा करने में असफल रहा है तो वह व्यापारी को यह निर्देश दे सकता है कि देय कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में देय कर का न्यूनतम 10 प्रतिशत, किन्तु अधिकतम 25 प्रतिशत, यदि देय कर दस हजार रुपये तक हो और देय कर का 50 प्रतिशत, यदि देय कर दस हजार रुपये से अधिक हो, अदा करे।

सात व्यापार कर कार्यालयों[6] के अभिलेखों की नवम्बर 2005 व मार्च 2008 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आठ व्यापारियों ने, जिनके कर निर्धारण फरवरी 2005 से मार्च 2007 के मध्य किये गये थे, वर्ष 1995–96 से 2003–04 के लिये अपना 1.81 करोड़ रुपये का स्वीकृत कर निर्धारित समय के अन्दर जमा नहीं किया था। विलम्ब की अवधि एक दिन से 302 दिनों तक की थी एवं चार मामलों में विलम्ब एक माह से भी अधिक का था। स्वीकृत कर के विलम्बित भुगतान पर 18.08 लाख रुपये का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे क0नि0प्रा0 द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात् जुलाई 2007 से मई 2008 के मध्य विभाग ने बताया कि सात मामलों में 22.15 लाख[7] रुपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2008)।

मामला शासन को दिसम्बर 2006 एवं मार्च 2008 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2008)।

2.5.4 उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ठेकेदार को ऐसी संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिये देय मूल्यवान प्रतिफल के विरूद्ध किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिये उत्तरदायी हो, ऐसी संकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय राशि में से चार प्रतिशत की कटौती करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार काटी जाने वाली राशि की कटौती करने में या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गई राशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह की समाप्ति के पूर्व शासकीय कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो, क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनाधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

नौ व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की जनवरी 2007 एवं जनवरी 2008 के मध्य की गई नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 11 व्यापारियों[8] ने वर्ष 2002–03

[6] डि0क0 (क0नि0)V, व्या0 क0, आगरा; डि0क0(क0नि0)II, व्या0 क0, इलाहाबाद; डि0क0 (क0नि0)VI, व्या0 क0 गाजियाबाद; डि0क0 (क0नि0)II, व्या0 क0, लखनऊ; डि0क0 (क0नि0)VI, व्या0 क0, नोएडा; डि0क0 (क0नि0).I, व्या0 क0, सहारनपुर तथा डि0क0(क0नि0), व्या0क0, सुल्तानपुर।

[7] क0नि0प्रा0 ने कुछ मामलों में न्यूनतम अर्थदण्ड से अधिक अर्थदण्ड आरोपित किया।

[8] अधिशाषी अभियंता (अ0अ0), ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, मिर्जापुर खण्ड; ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, सोनभद्र खण्ड; नगर पालिका, सहारनपुर; ब्रिज कान्स्ट्रक्शन डिवीजन, लो0 नि0 वि0, कानपुर; लो0नि0वि0 उरई, जनपद जालौन; निर्माण खण्ड,

से 2004–05 के दौरान ठेकेदारों को भुगतान करते समय 49.79 लाख रुपये के कर की कटौती श्रोत पर की किन्तु उसे राजकीय कोषागार में निर्धारित समय सीमा के अन्दर जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि एक से 419 दिनों तक की थी एवं चार मामलों में विलम्ब दो माह से अधिक का था। क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय (दिसम्बर 2005 व मार्च 2007 के मध्य) 99.58 लाख रुपये का अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि नीचे वर्णित है :

(लाख रुपये में)

कम सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	कर की धनराशि	अधिकतम आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	अ0क0 खण्ड II व्या0 क0, मिर्जापुर	2003–04 (मार्च 2006)	0.39	0.78
		2004–05 (मार्च 2007)	1.64	3.28
2.	अ0क0 खण्ड I व्या0 क0, सोनभद्र	2004–05 (मार्च 2007)	1.86	3.72
3.	अ0क0 खण्ड I व्या0 क0, सहारनपुर	2004–05 (फरवरी 2007)	4.03	8.06
4.	अ0क0 खण्ड II व्या0 क0, बाँदा	2003–04 (सितम्बर 2006)	3.58	7.16
5.	अ0क0 खण्ड XII व्या0 क0, कानपुर	2004–05 (नवम्बर 2006)	3.10	6.20
6.	अ0क0 खण्ड I व्या0 क0, उरई	2003–04 (फरवरी 2006)	2.40	4.80
7.	अ0क0 व्या0 क0, बिजनौर	2003–04 (दिसम्बर 2005)	1.75	3.50
8.	अ0क0 खण्ड IX व्या0 क0, वाराणसी	2003–04 (मार्च 2006)	8.23	16.46
		2004–05 (मार्च 2006)	10.01	20.02
		2002–03 (अक्टूबर 2006)	3.05	6.10
		2003–04 (मार्च 2006)	4.11	8.22
		2002–03 (मार्च 2006)	0.78	1.56
		2003–04 (मार्च 2006)	3.33	6.66
9.	डि0क0(क0नि0) III व्या0 क0, बरेली	2003–04 (जनवरी 2005)	0.97	1.94
		2004–05 (मार्च 2007)	0.56	1.12
	योग		**49.79**	**99.58**

मामलों को मार्च 2007 और फरवरी 2008 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने सितम्बर 2008 में बताया कि दो मामलों के सम्बन्ध में 8.86 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2008)।

उ0प्र0 जल निगम, बिजनौर; ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, वाराणसी; नेशनल हाइवे डिवीजन– I, लो0नि0वि0 वाराणसी; उ0प्र0 समाज कल्याण निगम लि0 बाँदा तथा इरकान इण्टरनेशनल बरेली।

मामला शासन को मार्च 2007 व फरवरी 2008 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2008)।

2.5.5 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 (के0बि0क0 अधिनियम) के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कोई पंजीकृत व्यापारी मिथ्या घोषणा करते हुए कि ये वस्तुएँ उसके पंजीयन प्रमाण पत्र (पं0प्र0प0) से आच्छादित हैं, फार्म 'सी' प्रस्तुत करके प्रान्त बाहर से कोई वस्तु कर के रियायती दर पर क्रय करता है अथवा क्रय किये गये माल का उपयोग, पं0प्र0प0 में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों में करता है, तो वह अभियोजन का पात्र होगा। तथापि, यदि कर निर्धारण अधिकारी यह उचित समझता है, तो अभियोजन के स्थान पर वह ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक का अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

13 व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की जून 2006 एवं फरवरी 2008 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2003–04 से 2004–05 के दौरान 13 व्यापारियों ने फार्म–सी पर घोषणा के आधार पर कर के रियायती दर से 5.29 करोड़ रुपये के माल की खरीद की थी। चूँकि व्यापारियों द्वारा खरीदी गयी सामग्रियॉ उनके पं0प्र0प0 से आच्छादित नहीं थीं और उनका उपयोग प्रमाण पत्र में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये किया गया था, अतः व्यापारी 89.49 लाख रुपये तक के अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे जैसा कि नीचे वर्णित है :

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	माल का नाम/ कर की दर (प्रतिशत)	क्रय की राशि	आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	अ0क0,खण्ड IX व्या0 क0, कानपुर	2004–05 (मार्च 2006)	केमिकल (10)	154.54	23.18
2.	डि0क0 (क0नि0) VIII व्या0 क0, लखनऊ	2003–04 (मार्च 2006)	प्लास्टिक शीट (10)	6.47	0.97
3.	अ0क0, खण्ड II व्या0 क0, झॉसी	2004–05 (मई 2006)	मोटर चेसिस (12)	17.24	3.10
4.	डि0क0(क0नि0) I व्या0 क0, रामपुर	2003–04 (फरवरी 2006)	टाईल्स, फर्नीचर, साइनबोर्ड, उपकरण, प्लान्ट और मशीनरी (16 एवं 10)	6.00	0.96
5.	अ0क0 खण्ड II व्या0 क0, कानपुर	2004–05 (अगस्त 2005)	एडहेसिव (12)	48.65	8.76
6.	डि.क.(क.नि.) IV व्या0 क0, नोएडा	2003–04 (मार्च 2006)	प्लास्टिक के दाने तथा नाइट्रोजन गैस (10 एवं 12)	65.43	9.97
7.	डि0क0(क0नि0) XX व्या0 क0, कानपुर	2004–05 (जनवरी 2007)	पावर आयल (20)	53.24	15.97
8.	डि0क0(क0नि0) III व्या0 क0, बरेली	2004–05 (मार्च 2007)	निकिल स्कीन, प्लास्टिक लाईनर, पालिथीन और स्टेशनरी (10)	18.15	2.72
9.	डि0क0(क0नि0) I व्या0 क0, गौतम बुद्ध नगर	2004–05 (मार्च 2006)	मिनरल, टिन कन्टेनर तथा प्लास्टिक कन्टेनर (10)	28.93	4.34
10.	डि0क0(क0नि0) व्या0 क0,एटा	2004–05 (मार्च 2007)	जेनरेटर सेट (10)	18.30	2.75
11.	अ0क0,खण्ड XIX व्या0 क0, कानपुर	2004–05 (सितम्बर 2007)	प्लान्ट एवं मशीनरी, जेनरेटर (10)	51.44	7.72
12.	अ0क0, खण्ड VII व्या0 क0, लखनऊ	2004–05 (मार्च 2007)	मिनी कलर लैब मशीन (10)	59.28	8.89
13.	डि0क0(क0नि0) X व्या0 क0, आगरा	2003–04 (अक्टूबर 2005)	मशीन तथा कोरोमिक्स मोल्डिंग (10)	1.09	0.16
	योग			528.76	89.49

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने अप्रैल 2007 एवं जनवरी 2008 के मध्य बताया कि सात मामलों में 47.01 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2008)।

मामले शासन को जुलाई 2006 और मार्च 2008 के मध्य प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2008)।

2.6 ब्याज का प्रभारित न किया जाना

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, ऐसे प्रत्येक व्यापारी से जिस पर कर अदा करने का दायित्व है, अपेक्षा की जाती है कि जिस माह में कर देय है उसके अनुवर्ती माह की समाप्ति से पूर्व कर की धनराशि राजकोष में जमा करे। यदि व्यापारी द्वारा स्वीकृत देय कर का भुगतान, निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता है तो अदत्त भुगतान पर जमा की तिथि तक दिनांक 11 अगस्त 2004 तक दो प्रतिशत प्रति माह की दर से एवं उसके पश्चात 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होता है।

पॉच व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की मई 2004 और अक्टूबर 2007 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पॉच व्यापारियों के मामलों में जिनका कर निर्धारण दिसम्बर 2003 और मार्च 2007 के मध्य किया गया था, 43.10 लाख रुपये का स्वीकृत कर विलम्ब से जमा किया गया था। विलम्ब की अवधि छः से 1,196 दिनों तक की थी एवं तीन मामलों में विलम्ब 30 माह से अधिक का था। स्वीकृत कर के विलम्बित भुगतान पर 17.33 लाख रुपये का ब्याज आरोपणीय था जिसे क0नि0प्रा0 द्वारा आरोपित नहीं किया गया था जैसा कि नीचे वर्णित है :

(लाख रुपये में)

क.सं	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	स्वीकृत कर	आरोपणीय ब्याज
1.	डि0क0(कनि0) I व्या0 क0, उरई	2005–06 (मार्च 2007)	23.16	5.51
2.	डि0क0(क0नि0) व्या0 क0, अम्बेडकरनगर	2003–04 (मार्च 2006)	7.36	3.75
3.	डि0क0(क0नि0) IV व्या0 क0, सहारनपुर	2002–03 (मार्च 2005)	5.19	3.53
4.	अ0क0, खण्ड IX व्या0 क0, गाजियाबाद	2001–02 (मार्च 2004)	5.33	3.35
5.	डि0क0(क0नि0) व्या0 क0, मिर्जापुर	2001–02 (दिसम्बर 2003)	2.06	1.19
योग			**43.10**	**17.33**

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने अगस्त 2007 एवं सितम्बर 2008 में बताया कि कम सं0 1 और 5 के दो मामलों में 6.70 लाख रुपये का ब्याज आरोपित कर दिया गया है। कम संख्या 1 के मामले में विभाग ने 5.51 लाख रुपये की राशि में से 2.58 लाख रुपये की वसूली कर ली है। अवशेष धनराशि की वसूली की स्थिति एवं अन्य मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं; (नवम्बर 2008)।

मामले विभाग एवं शासन को जुलाई 2004 एवं दिसम्बर 2007 के मध्य प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2008)।

2.7 अनियमित छूट

2.7.1 के0बि0क0 अधिनियम की धारा 8(5), यथा संशोधित 13 मई 2002, सपठित कमिश्नर का परिपत्र दिनांक 27 मई 2002 के अनुसार माल की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर कर मुक्ति या कर की दर में कमी का लाभ फार्म 'सी' अथवा 'डी' में घोषणा करने पर ही अनुमन्य है। पुनश्च, अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर इस प्रकार का देय लाभ उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 4क के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति से आच्छादित नई इकाईयों को अनुमन्य है।

पॉच व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की अक्टूबर 2005 एवं जुलाई 2007 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पात्रता प्रमाण पत्र (पा0प्र0प0) धारक पांच व्यापारियों ने वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 के दौरान 5.25 करोड़ रुपये मूल्य की स्वनिर्मित वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री बिना प्रपत्र 'सी' में घोषणा किये हुये की थी। क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करके धारा 4क के अन्तर्गत 35.03 लाख रुपये की छूट प्रदान कर दी। इसके फलस्वरूप 35.03 लाख रुपये की अनियमित छूट दी गयी जैसा कि नीचे वर्णित है:

(लाख रुपये में)

क. सं.	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	वस्तुओं का नाम	बिना फार्म–'सी' के अन्तर्प्रान्तीय बिक्री की धनराशि	आरोपित कर	दी गयी करमुक्ति
1.	डि0क0 (क0नि0) IV व्या0 क0, गाजियाबाद	2004–05 (मार्च 2007)	साफ्ट ड्रिंक्स, मिनरल वाटर एवं बिवेरेजेस	249.00	32.40	16.20
2.	डि0क0 (क0नि0) व्या0 क0, गुलावटी (बुलन्दशहर)	2002–03 (फरवरी 2005)	व्हे पाउडर एवं केज़िन	162.65	16.26	12.20
3.	डि0क0 (क0नि0) VII व्या0 क0, कानपुर	2003–04 (अक्टूबर 2006)	मल्टीलेयर पालीफिल्म	66.80	6.68	4.91
4.	डि0क0(क0नि0) IV व्या0 क0, नोएडा	2002–03 (फरवरी 2005)	एरोसील वाल्व एवं पम्प स्पेयर्स	43.11	4.31	1.08
5.	डि0क0(क0नि0) I व्या0 क0, सीतापुर	2002–03 (मार्च 2005)	शीरा	3.21	0.64	0.64
योग				**524.77**	**60.29**	**35.03**

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने जून 2007 में बताया कि क्रम सं0 2 और 5 के दो मामलों में 12.84 लाख रुपये का कर आरोपित कर दिया गया है। वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2008)।

मामले विभाग एवं शासन को दिसम्बर 2005 एवं फरवरी 2008 के मध्य प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2008)।

2.6.2 जनवरी 2001 में जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत के बाहर से आयातित इमारती लकड़ी की बिक्री पर 1 फरवरी 2001 से 20 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। पुनश्च, बैलगाड़ी की बिक्री कर मुक्त है।

अ0क0, खण्ड 11 व्या0क0 लखनऊ के कार्यालय के अभिलेखों की फरवरी 2005 में की गई नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक व्यापारी ने वर्ष 2001–02 के दौरान भारत के बाहर से 30.76 लाख रुपये मूल्य की इमारती लकड़ी का आयात बैलगाड़ियों के निर्माण में प्रयोग हेतु किया। व्यापारी के कर निर्धारण सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उसने बैलगाड़ी का निर्माण करने के बजाय लकड़ी की बिक्री, जिस पर उक्त विज्ञप्ति के अनुसार 20 प्रतिशत की दर से कर देयता थी, उसी रूप एवं दशा में कर दी। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2003 में कर निर्धारण करते समय इसकी जॉच नहीं की और कर मुक्ति प्रदान कर दी। इसके फलस्वरूप
6.15 लाख रुपये की अनियमित कर मुक्ति का लाभ लिया गया ।

मामले को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने अक्टूबर 2006 में बताया कि 45 लाख[9] रुपये मूल्य की आयातित लकड़ी की बिक्री पर 9 लाख रुपये का कर आरोपित कर दिया गया है। वसूली की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2008)।

मामला दिसम्बर 2005 में शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2008)।

2.8 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2001 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित कर की दरों की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है।

नौ व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की जून 2005 और फरवरी 2008 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सात मामलों में क0नि0प्रा0 ने फरवरी 2005 एवं मार्च 2007 के मध्य वर्ष 2002–03 से 2004–05 तक के वर्षों के कर निर्धारण को करते समय सीमेन्ट, कोयला, मशीनरी, मोम, कागज एवं डीजल की खरीद पर 9.61 लाख रुपये का प्रवेश कर आरोपित नहीं किया एवं दो मामलों में डीजल की खरीद पर 29.80 लाख रुपये का प्रवेश कर कम आरोपित किया। फलस्वरूप 39.41 लाख रुपये का प्रवेश कर नहीं लगाया गया/ कम लगाया गया जैसा कि नीचे वर्णित है:

(लाख रुपये में)

क. सं	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	वस्तु का मूल्य	प्रवेश कर की दर (प्रतिशत में) आरोपणीय / आरोपित	कम/नहीं लगाये गये कर की धनराशि
1.	अ0क0. खण्ड VII व्या0 क0, लखनऊ	2004–05 (मार्च 2007)	मशीनरी	59.28	2 / शून्य	1.19
2.	डि0क0(क0नि0) व्या0 क0, फैजाबाद	2004–05 (मार्च 2007)	कोयला	109.78	2 / शून्य	2.20
3.	डि0क0(क0नि0) व्या0 क0, गौतम बुद्ध नगर	2004 05 (अक्टूबर 2006)	मोम एवं कागज	16.06	4 / शून्य	0.64

[9] क0नि0प्रा0 ने टर्नओवर को बढ़ा कर तद्नुरूप कर आरोपित किया।

क. सं	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	वस्तु का मूल्य	प्रवेश कर की दर (प्रतिशत में) आरोपणीय / आरोपित	कम/नहीं लगाये गये कर की धनराशि
4.	डि0क0(क0नि0) XII व्या0 क0, लखनऊ	2004–05 (मई 2006)	डीजल	22.46	5 / शून्य	1.12
5.	डि0क0(क0नि0) व्या0 क0, कर्वी चित्रकूट	2003–04 (मार्च 2006)	सीमेन्ट	120.92	2 / शून्य	2.42
6.	डि0क0(क0नि0) व्या0 क0, बलरामपुर	2003–04 (मार्च 2006)		60.49	2 / शून्य	1.21
7.	डि0क0(क0नि0) व्या0 क0, मिर्जापुर	2002–03 (फरवरी–2005)	मशीनरी	41.48	2 / शून्य	0.83
8.	डि0क0(क0नि0) व्या0 क0, सुल्तानपुर	2004–05 (मार्च 2007)	डीजल	773.22	5 / 2	23.20
9.	अ0क0. खण्ड I व्या0 क0, हाथरस	2004–05 (मार्च 2007)		219.95	5 / 2	6.60
	योग			1,423.64		39.41

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने सितम्बर 2007 एवं फरवरी 2008 के मध्य बताया कि पॉच मामलों में 34.26 लाख रुपये का प्रवेश कर आरोपित कर दिया गया है। वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2008)।

मामले शासन को अगस्त 2005 एवं मार्च 2008 के मध्य प्रतिवेदित किये गये थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2008)।

अध्याय–III
राज्य आबकारी

3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य आबकारी के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में 18.80 करोड़ रुपये की धनराशि के, मदिरा के कम उत्पादन, देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू0प्र0मा0) का उठान न करने, लाइसेंस फीस की वसूली न किये जाने, ब्याज के अनारोपण एवं अन्य अनियमितताओं के 93 मामले प्रकाश में आये जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

क.सं.	श्रेणियॉ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	शीरे से मदिरा का कम उत्पादन	22	9.59
2.	देशी मदिरा की न्यू0प्र0मा0 का उठान न किया जाना	19	4.05
3.	लाइसेंस फीस की वसूली न किया जाना	6	1.69
4.	ब्याज का अनारोपण	15	0.21
5.	अन्य अनियमितताएं	31	3.26
	योग	**93**	**18.80**

वर्ष 2007–08 के दौरान विभाग द्वारा विगत वर्षों में इंगित किये गये मदिरा के कम उत्पादन, न्यू0प्र0मा0 के न उठाये जाने एवं अन्य अनियमितताओं से सम्बन्धित 12 मामलों में 6.39 लाख रुपये की वसूली की गयी।

1.26 करोड़ रुपये के कुछ निदर्शी मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं।

3.2 देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के कम उठान के कारण आबकारी अभिकर की हानि

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापन व्यवस्थापन) नियमावली–2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान प्रत्येक अनुज्ञापी, प्रत्येक अनुज्ञापन के लिए निर्धारित समस्त मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू0प्र0मा0) को उठाने के लिये उत्तरदायी है। असफल होने की दशा में, अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञापी की जमा प्रतिभूति से अनुज्ञापन शुल्क की बकाया अवशेष धनराशि का समायोजन करेगा तथा अगले माह की तीसरी तारीख तक अनुज्ञापी को नोटिस भी देगा कि वह प्रतिभूति की राशि की कमी को, या तो पुनः देशी मदिरा की उतनी मात्रा, जिसमें समायोजित धनराशि के बराबर निहित शुल्क हो, उठाकर अथवा नगद जमा कर या फिर दोनों ही विकल्पों द्वारा पूरा करे। यदि अनुज्ञापी आगामी माह की 10 तारीख तक प्रतिभूति की राशि की कमी को पूरा करने में विफल रहता है तो उसका अनुज्ञापन निरस्त समझा जायेगा।

11 जिला आबकारी कार्यालयों[1] (जि0आ0का0) के अभिलेखों की सितम्बर 2005 और फरवरी 2008 के मध्य नमूना जॉच में यह देखा गया कि 127 अनुज्ञापियों ने वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक की अवधि में देशी मदिरा की न्यू0प्र0मा0 20,75,770.75 बल्क लीटर (ब0ली0) के सापेक्ष 19,42,698.169 ब0ली0 का ही उठान किया। चूँकि वर्ष के दौरान देशी मदिरा की न्यू0प्र0मा0 की सम्पूर्ण मात्रा का उठान नहीं किया गया था, अतः 1,33,072.581 ब0ली0 मदिरा के कम उठान के लिये 1.09 करोड़ रुपये का अन्तरीय अनुज्ञापन शुल्क, अनुज्ञापियों से वसूल किया जाना था। विभाग ने प्रतिभूति से धनराशि के समायोजन करने की अथवा लाइसेंस निरस्त करने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके फलस्वरूप 1.09 करोड़ रुपये के आबकारी अभिकर की हानि हुई।

मामला विभाग तथा शासन को सितम्बर 2007 एवं मार्च 2008 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2008)।

3.3 भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0) के अनियमित परिवर्तन के कारण आबकारी अभिकर की हानि

उ0 प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सादी स्प्रिट की ब्लेन्डिंग तथा तीव्रता में कमी स्टोर वैट में प्रभारी अधिकारी के पर्यवेक्षण एवं उपस्थिति में अनुमन्य है। भा0नि0वि0म0 सादी स्प्रिट की श्रेणी में नहीं आती है। वर्ष 2006–07 के दौरान भा0नि0वि0म0 पर आबकारी शुल्क 130 रुपये प्रति ब0ली0 एवं देशी मदिरा पर 85 रुपये प्रति ब0ली0 आरोपणीय था। तथापि भा0नि0वि0म0 को देशी मदिरा में परिवर्तन के लिए नियमों में व्यवस्था नहीं है।

वर्ष 2006–07 के दौरान मझोला आसवनी, मझोला, पीलीभीत के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह देखा गया (फरवरी 2007) कि उप आयुक्त आबकारी (वितरण) की अनुमति से 57,162.2 ब0ली0 भा0नि0वि0म0 को 67,550.6 ब0ली0 देशी मदिरा में परिवर्तित किया गया। विभाग किसी भी नियम के अन्तर्गत ऐसे परिवर्तन के लिये अनुमति नहीं दे सकता था। परिवर्तन के फलस्वरूप मदिरा की तीव्रता 42.8 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत हो गयी। भा0नि0वि0म0 की सम्पूर्ण मात्रा पर 74.31 लाख रुपये का आबकारी शुल्क प्रभार्य था। देशी मदिरा में परिवर्तित भा0नि0वि0म0 द्वारा केवल 57.42 लाख रुपये का ही आबकारी शुल्क प्राप्त हुआ। इस प्रकार, भा0नि0वि0म0 के अनियमित परिवर्तन के फलस्वरूप 16.89 लाख रुपये के आबकारी शुल्क की हानि हुई।

मामला शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2007); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2008)।

---

[1] जि0 आ0 अ0 बलिया, बाराबंकी, देवरिया, हरदोई, कौशाम्बी, मऊ, उरई, रायबरेली, सहारनपुर, सीतापुर एवं उन्नाव।

अध्याय–IV
माल एवं यात्री वाहनों पर कर

4.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2007–08 के दौरान परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में 94.45 करोड़ रुपये के कर के अनारोपण/कम आरोपण, मार्ग कर, माल कर के अवनिर्धारण, तथा अन्य अनियमितताओं के 213 मामले प्रकाश में आये जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

क0 सं0	श्रेणी	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	अन्तर्राज्यीय परिवहन व्यवस्था में कर, शुल्क एवं अर्थदण्ड इत्यादि का आरोपण एवं संग्रहण (एक समीक्षा)	1	81.15
2.	यात्री कर/अतिरिक्त कर का अनारोपण/कम आरोपण	98	8.00
3.	माल कर का कम आरोपण	7	0.34
4.	मार्ग कर का अवनिर्धारण	43	4.37
5.	अन्य अनियमिततायें	64	0.59
योग		**213**	**94.45**

वर्ष 2007–08 के दौरान विभाग द्वारा विगत वर्षों में इंगित किये गये यात्री कर/अतिरिक्त कर के अनारोपण/कम आरोपण, माल कर के कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं से सम्बन्धित चार मामलों में 24.59 लाख रुपये की वसूली की गई।

"अन्तर्राज्यीय परिवहन व्यवस्था में कर, शुल्क एवं अर्थदण्ड इत्यादि के आरोपण एवं संग्रहण" पर तैयार की गयी एक समीक्षा, जिसमें 81.15 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव है तथा 87 लाख रुपये के वित्तीय प्रभाव वाले कुछ निदर्शी मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं।

4.2 अन्तर्राज्यीय परिवहन व्यवस्था में कर, शुल्क एवं अर्थदण्ड इत्यादि का आरोपण एवं संग्रहण

मुख्य अंश

- कालबाधित बैंक ड्राफ्टों के नवीनीकरण न किये जाने से 1.64 करोड़ रुपये का राजस्व शासकीय लेखों से बाहर रहा।

  (प्रस्तर 4.2.6.1)

- बिना प्रतिहस्ताक्षरित परमिट के संचालित वाहनों पर कर एवं अतिरिक्त कर के कम आरोपण तथा अर्थदण्ड के अनारोपण के फलस्वरूप 71.40 करोड़ रुपये की कम वसूली हुयी।

  (प्रस्तर 4.2.8)

- माल वाहनों से कर एवं अतिरिक्त कर की वसूली न किये जाने से 5.16 करोड़ रुपये की हानि हुयी ।

  (प्रस्तर 4.2.10)

- वाहनों के यान भार पर कर के अनारोपण के फलस्वरूप 7.34 करोड़ रुपये की कम वसूली हुयी।

  (प्रस्तर 4.2.11)

- आदशों के विलम्ब से प्रेषित किये जाने के फलस्वरूप 6 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुयी।

  (प्रस्तर 4.2.12)

- अन्तर्राज्यीय मार्गों पर द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत संचालित मंजिली वाहनों पर अतिरिक्त कर के कम आरोपण के फलस्वरूप 2.51 करोड़ रुपये की कम वसूली हुयी।

  (प्रस्तर 4.2.14)

4.2.1 प्रस्तावना

अन्तर्राज्यीय मार्गों में एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच माल का परिवहन, राष्ट्रीय परमिट योजना एवं द्विपक्षीय समझौते के तहत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (मो0वा0 अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत संचालित होता है। लम्बी दूरी की अन्तर्राज्यीय यात्राओं तथा सड़क मार्ग से माल के परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए, देश के आर्थिक विकास में गति लाने के दृष्टिकोण से राज्यों को दूसरे राज्यों से पारस्परिक आधार पर परिवहन सम्बन्धी द्विपक्षीय अनुबंध करने के लिए अधिकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित मोटर वाहनों पर कर, अतिरिक्त कर, शुल्क का निर्धारण एवं वसूली तथा अर्थदण्ड का आरोपण उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0मो0वा0क0 अधिनियम) और उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत होता है। राष्ट्रीय परमिट योजनाओं के अन्तर्गत संग्रहकर्ता राज्यों द्वारा राज्य का अतिरिक्त कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त किये गये ड्राफ्टों को राजकीय लेखों में जमा किया जाता है। राज्य सरकार के परिवहन विभाग के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन सम्बन्धित राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण

(रा0प0प्रा0) द्वारा क्षेत्रीय/राष्ट्रीय परमिट योजनाओं के अन्तर्गत राजस्व की वसूली का कार्य देखा जाता है। योजनाओं/अनुबंधों के अन्तर्गत लोक सेवायान[1], ठेका वाहन /पर्यटन टैक्सियाँ[2] तथा माल वाहन[3] आते हैं।

अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित वाहनों के सम्बन्ध में कर, शुल्क एवं अर्थदण्ड के आरोपण एवं संग्रहण की व्यवस्था पर एक समीक्षा सम्पादित की गयी जिसमें प्रकिया एवं अनुपालन सम्बन्धित अनेक कमियाँ प्रकाश में आयीं जो नीचे दिये गये प्रस्तरों में वर्णित हैं।

4.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

अन्तर्राज्यीय परिवहन व्यवस्था पर अधिनियम, नियमों एवं प्रावधानों को लागू करने का सम्पूर्ण दायित्व परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव का है और वह शासन स्तर पर प्रशासनिक अध्यक्ष है। परिवहन आयुक्त (प0आ0) परिवहन विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं जिनकी सहायतार्थ मुख्यालय पर चार अपर परिवहन आयुक्त (अ0प0आ0), छः उप परिवहन आयुक्त (उ0प0आ0) तथा पाँच सहायक परिवहन आयुक्त (स0प0आ0) हैं। वित्त नियंत्रक के अधीन प0आ0 के कार्यालय में एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ है।

इसके अतिरिक्त परिवहन आयुक्त की सहायता हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में सात उ0प0आ0, 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (स0प0अ0) तथा नौ स0प0अ0 (प्रवर्तन), 70 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (स0स0प0अ0) (प्रशासन) एवं 62 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) हैं तथा स0प0अ0 के अधीन 34 कर संग्रह केन्द्र राज्य की विभिन्न सीमाओं पर चौबीसो घंटे कार्यरत रहते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण (रा0प0प्रा0) एवं सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण (स0प0प्रा0) के नाम से सांविधिक निकायों का सृजन किया गया है। रा0प0प्रा0 अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालन के उद्देश्य से मंजिली वाहनों/ ठेका वाहनों/पर्यटक वाहनों को स्थायी परमिट जारी करता है, दूसरे राज्यों के साथ द्विपक्षीय समझौता सम्पादित करता है तथा अन्य प्रदेशों के द्वारा जारी परमिटों को प्रतिहस्ताक्षरित करता है। स0प0प्रा0 प्रान्त के अन्दर पंजीकृत वाहनों के लिए अन्तर्सम्भागीय स्थायी परमिट, अस्थायी परमिट, विशेष अस्थायी परमिट एवं राष्ट्रीय परमिट जारी करता है।

4.2.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं कार्य पद्धति

24 स0प0अ0/ स0स0प0अ0, 32 कर संग्रह केन्द्रों एवं प0आ0 के कार्यालय में मई 2007 और मार्च 2008 के मध्य अप्रैल 2002 से मार्च 2007 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। इकाइयों का चयन रिस्क विश्लेषण के आधार पर किया गया। राज्य की सीमा पर स्थित 10 ऐसे जिले,[4] जहाँ वाहनों के आने जाने की बारम्बारता बहुत अधिक थी, को उच्च जोखिम क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया। समीक्षा के अन्तर्गत उस क्षेत्र की सभी इकाइयों की नमूना जाँच की गयी। राज्य के नौ स0स0प0अ0 द्वारा उगाहे गये राजस्व के आधार पर नौ जिलों[5] का चयन मध्यम जोखिम क्षेत्र के रूप में किया गया। राष्ट्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत माल वाहनों की संख्या

[1] लोक सेवायान से तात्पर्य भाड़ा के आधार पर यात्रियों को ढोने वाले वाहनों से है।
[2] ठेका वाहन/पर्यटन टैक्सियों से तात्पर्य अनुबन्ध के आधार पर यात्रियों को ढोने वाले वाहनों से है।
[3] माल वाहन से तात्पर्य राष्ट्रीय परमिट को रखने वाले वाहनों से है।
[4] उच्च जोखिम क्षेत्रः आगरा, इलाहाबाद, अलीगढ़, बाँदा, बरेली, गाजियाबाद, झाँसी, मिर्जापुर, मुरादाबाद एवं सहारनपुर।
[5] मध्यम जोखिम क्षेत्र, बिजनौर,चन्दौली,इटावा, गौतमबुद्ध नगर, कुशीनगर,ललितपुर, मथुरा, महोबा व मुजफ्फरनगर ।

के आधार पर पॉच स0प0अ0[6] को कम जोखिम क्षेत्र के अन्तर्गत चयनित किया गया। इस प्रकार, 70 जिलों में से 24 जिले (कुल जिलों का एक तिहाई) समीक्षा के अन्तर्गत आच्छादित थे।

4.2.4 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा तैयार की गयी कि क्या ;

- कर, अतिरिक्त कर, फीस एवं अर्थदण्ड का आरोपण एवं संग्रहण अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है;
- शासकीय राजस्व की वसूली में ढिलाई बरतने पर अधिकारियों की जवाबदेही और उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु समुचित एवं प्रभावी व्यवस्था है; और
- कर वसूली के कार्य में लगाये गये अधिकारियों द्वारा कर, अतिरिक्त कर, फीस एवं अर्थदण्ड का निर्धारण एवं संग्रहण समय से सुनिश्चित करने हेतु एक आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

4.2.5 अभिस्वीकृति

लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक सूचनाओं तथा अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिये भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग परिवहन विभाग के सहयोग के लिये आभार प्रकट करता है। प0आ0 एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ एक वैचारिक बैठक की गयी जिसमें लेखा परीक्षा द्वारा तैयार की जाने वाली समीक्षा के उद्देश्यों के बारे में उन्हें बताया गया। समीक्षा का आलेख प्रतिवेदन शासन एवं विभाग को मई 2008 में प्रेषित किया गया था। लेखा परीक्षा समीक्षा समिति की बैठक सितम्बर 2008 में की गयी थी। विभाग का प्रतिनिधित्व अपर परिवहन आयुक्त ने किया। विभागीय दृष्टिकोण को सम्बन्धित प्रस्तरों में सम्मिलित किया गया है।

लेखा परीक्षा की उपलब्धियां

प्रकियात्मक कमियाँ

4.2.6 राजस्व के संग्रहण में कमियाँ

मॉग, वसूली एवं बकायों की गणना तथा अन्य प्रान्तों से देय कम्पोजिट फीस की वसूली हेतु, अनुवर्ती कार्यवाही करने पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य प्रान्तों द्वारा समय समय पर जारी परमिटों का सम्पूर्ण विवरण रखे । तथापि, लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि उ0प्र0 में वाहनों के संचालन हेतु अन्य राज्यों द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय परमिट से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएं न तो उन राज्यों द्वारा दी गयीं और न ही रा0प0प्रा0 द्वारा उनकी मॉग की गयी। इस मूलभूत सूचना के अभाव में अन्य राज्यों द्वारा देय कम्पोजिट फीस का निर्धारण नहीं किया जा सका। अन्य प्रान्तों द्वारा जारी स्थाई परमिटों/अस्थाई परमिटों की प्रतियॉ न तो दूसरे राज्यों से प्राप्त हुईं और न ही जमा करों की शुद्धता को जॉचने के लिए विभाग द्वारा उनकी मॉग की गयी। इस संबंध में रा0प0प्रा0 द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी।

[6] कम जोखिम क्षेत्र: देवीपाटन, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ व वाराणसी।

उ0प्र0 में वाहनों के संचालन हेतु अन्य राज्यों द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय परमिट से सम्बन्धित सामयिक विवरण मंगाये जाने पर शासन विचार कर सकता है जिससे हो रही राजस्व क्षति की सुरक्षा हेतु उपचारात्मक कार्यवाही की जा सके।

4.2.6.1 कालबाधित बैंक ड्राफ्टों का नवीनीकरण न किया जाना

उत्तर प्रदेश कोषागार नियमावली के प्रावधानों, सपठित, वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग V के अनुसार, समस्त संव्यवहारों को अविलम्ब लेखों में दर्ज करके प्राप्त धनराशि को शासकीय लेखों में जमा कराया जाना चाहिए। प्रान्त बाहर के प्राधिकारियों द्वारा सम्बन्धित राज्यों का एकत्रित किया गया कर बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से जमा कर दिया जाना चाहिए। प0आ0 के कार्यालय में केन्द्रीय पूल अनुभाग द्वारा बैंक ड्राफ्टों को प्राप्त किया जाता है। बैंक ड्राफ्टों की प्राप्ति एवं नगदीकरण पर ध्यान देने के लिये अनुभाग में एक कन्ट्रोल रजिस्टर बनाया जाना अपेक्षित है। शासन ने राजस्व की सही तरीके एवं समय से वसूली पर ध्यान देने के लिए किसी विवरणी का बनाया जाना निर्धारित नहीं किया है।

यह देखा गया कि 2002–03 से 2006–07 के दौरान 8,67,591 बैंक ड्राफ्ट नगदीकरण एवं शासकीय लेखों में जमा करने के उद्देश्य से बैंक आफ बड़ौदा (बैंक ड्राफ्टों के संग्रहण हेतु नोडल बैंक) में जमा किये गये थे। जिनमें से 3,537 बैंक ड्राफ्ट कालबाधित हो जाने के कारण बिना नगदीकरण के वापस कर दिये गये। इस प्रकार, 1.64 करोड़ रुपये का राजस्व शासकीय लेखा में जमा नहीं किया जा सका जैसा कि परिशिष्ट I में दिखाया गया है। आगे यह भी देखा गया कि अपेक्षित कन्ट्रोल रजिस्टर अपूर्ण था क्योंकि जारी करने, प्राप्ति एवं जमा की तिथि जैसे विवरणों की प्रविष्टि रजिस्टर में नहीं की गयी थी। सम्पूर्ण अभिलेखों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किस स्तर पर बैंक ड्राफ्ट कालबाधित हुए। इसके अतिरिक्त अभिलेखों पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह स्पष्ट हो सके कि नवीनीकरण हेतु भेजे गये बैंक ड्राफ्ट नवीनीकृत हो जाने के पश्चात् वापस प्राप्त हुये अथवा वे अभी भी नवीनीकरण हेतु लम्बित थे। विभाग द्वारा सम्बन्धित राज्यों से इस मामले में नवीनीकरण के पश्चात् बैंक ड्राफ्टों को वापस लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। अभिलेखों का उचित प्रकार से रख रखाव न होने के कारण विभाग बैंक ड्राफ्टों की प्राप्ति एवं निस्तारण पर ध्यान नहीं दे सका।

मामले को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने अगस्त 2008 में बताया कि लेखा परीक्षा में इंगित किये गये कालबाधित बैंक ड्राफ्टों का नवीनीकरण करा दिया गया है तथा उन्हें शासकीय लेखो में जमा करने हेतु नोडल बैंक को भेज दिया गया है। अग्रेतर, 419 बैंक ड्राफ्टों की सत्यापन जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 157 बैंक ड्राफ्ट नवीनीकरण हेतु भेजे ही नहीं गये थे तथा अवशेष 262 बैंक ड्राफ्ट, यद्यपि नवीनीकरण हेतु भेजे गये थे, परन्तु वापस प्राप्त नहीं हुए हैं।

शासन बैंक ड्राफ्टों के द्वारा करों के संग्रहण पर ध्यान देने के लिए एक मासिक विवरणी के निर्धारण हेतु विचार कर सकता है।

4.2.6.2 बैंक ड्राफ्टों द्वारा अतिरिक्त कर की कम वसूली

उ0प्र0मो0वा0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्रों के अतिरिक्त किसी राज्य द्वारा मो0वा0 अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन प्रदान किये गये राष्ट्रीय परमिट के अन्तर्गत संचालित माल

वाहनों पर प्रत्येक वर्ष या उसके किसी भाग के लिए 5,000 रुपये अतिरिक्त कर होगा। इसे बैंक ड्राफ्टों के द्वारा प्राप्त किया जाता है और प0आ0 कार्यालय के सेन्ट्रल पूल अनुभाग में इसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद इसकी जॉच की जाती है और इसकी शुद्धता को सुनिश्चित करने के पश्चात् इसे संग्रहण हेतु बैंक को भेज दिया जाता है।

प0आ0 कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अप्रैल 2002 व मार्च 2007 के मध्य अन्य राज्यों[7] के 434 वाहनों से सम्बन्धित, अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 5,000 रुपये प्रति वाहन की दर से देय 21.70 लाख रुपये के अतिरिक्त कर के विरूद्ध 434 बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हुये जिनका कुल मूल्य 9.76 लाख रुपये था। यद्यपि प्रत्येक बैंक ड्राफ्ट की धनराशि 5,000 रुपये से कम थी फिर भी इनको स्वीकार किया गया तथा 11.94 लाख रुपये के अतिरिक्त कर की अन्तरीय धनराशि की वसूली हेतु कोई भी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई।

मामले को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने लेखा परीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में आपत्ति को स्वीकार करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

4.2.6.3 राष्ट्रीय परमिट धारकों से विलम्बित भुगतान हेतु शुल्क का अनारोपण

मो0वा0 अधिनियम के प्रावधानों, सपठित उत्तर प्रदेश (उ0प्र0) शासन द्वारा 29 जुलाई 1994 को जारी विज्ञप्ति के अन्तर्गत अतिरिक्त कर के देय तिथि पर भुगतान न किये जाने की दशा में राष्ट्रीय परमिट धारकों से एक माह अथवा उसके किसी भाग के विलम्ब हेतु 100 रुपया विलम्ब शुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा।

प0आ0 कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2004–05 से 2006–07 के दौरान 52,939 वाहन स्वामियों द्वारा 26.47 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से राष्ट्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत परमिट के प्रमाणीकरण की अवधि की समाप्ति के 15 दिन पूर्व की निर्धारित अवधि के पश्चात् जमा किया गया फिर भी विभाग द्वारा 52.94 लाख रुपये के विलम्बित भुगतान शुल्क की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। फलस्वरूप उस सीमा तक विलम्बित भुगतान शुल्क की वसूली नहीं हुयी।

शासन उत्तर प्रदेश राज्य में वाहनों के संचालन हेतु अधिकृत किये गये अन्य राज्यों के वाहन मालिकों से समय पर एवं सही कम्पोजिट फीस की वसूली हेतु एक विवरणी बनाये जाने तथा विलम्ब शुल्क के संग्रहण तथा जमा हेतु सम्बन्धित राज्यों के साथ मामले पर विचार कर सकता है।

4.2.7 आन्तरिक लेखा परीक्षा

आन्तरिक लेखा परीक्षा कानूनों, नियमों एवं विभागीय निर्देशों को तर्कपूर्ण प्रभाव के साथ व्यवस्थित रूप से लागू करने में आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संगठन में निर्धारित प्रणाली सुव्यवस्थित रूप से कार्यरत है यह सामान्यतः परिभाषित है कि यह सभी नियंत्रणों पर नियंत्रण है।

[7] आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान।

इस उद्देश्य हेतु परिवहन विभाग में एक आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा (आ0ले0शा0) है। एक सहायक लेखा अधिकारी, चार लेखा परीक्षक, दो कनिष्ठ लेखा परीक्षक (लेखा), एक वरिष्ठ लिपिक तथा दो कनिष्ठ लिपिक के पदों को स्वीकृत किया गया है। आ0ले0शा0 एक वर्ष में 48 इकाईयों की लेखा परीक्षा सम्पादित करती है। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि विभाग में आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु कोई नियमावली नहीं है। आन्तरिक लेखा परीक्षा आपत्तियों इत्यादि के अनुपालन से सम्बन्धित कोई विवरण भी विभाग में उपलब्ध नहीं थे। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि विभाग के पास कोई भी प्रभावी आन्तरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था नहीं है तथा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या इसकी अधिकांश इकाईयां राजस्व की अधिक से अधिक वसूली को प्राप्त करने के लिए भली प्रकार से कार्य कर रही हैं।

विभाग को अपने आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा को प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिए अविलम्ब समुचित उपाय करने की आवश्यकता है।

अनुपालनीय कमियॉ

4.2.8 कर एवं अतिरिक्त कर का कम आरोपण तथा अर्थदण्ड का अनारोपण

मो0वा0 अधिनियम, सपठित उ0प्र0मो0वा0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एवं द्विपक्षीय करार की शर्तों के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (उ0प्र0रा0स0प0नि0) से भिन्न, किसी राज्य परिवहन निगम के स्वामित्व वाले या नियंत्रणाधीन लोक सेवा यान के सम्बन्ध में कर तथा अतिरिक्त कर का आरोपण और भुगतान, मो0वा0 अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्यों के मध्य हुए करार के अनुसार किया जायेगा और जहाँ ऐसा करार न हो वहाँ चतुर्थ अनुसूची के अनुच्छेद 1 के खण्ड (क) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की दरों की सारणी के कम संख्या 8 में दी गयी दरों पर इसका आरोपण एवं भुगतान किया जायेगा। यह देखा गया कि पॉच राज्यों के परमिटों को अन्य राज्यों के साथ द्विपक्षीय करार के अधीन प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया था और अन्य प्रान्तों के वाहन बिना परमिट के नवीनीकरण के ही उ0प्र0 में संचालित थे। अग्रेतर, यदि कर या अतिरिक्त कर का भुगतान निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किया जाता है तो देय धनराशि का 25 प्रतिशत से अनाधिक अर्थदण्ड देय होगा।

नौ स0प0अ0 एवं पॉच स0स0प0अ0[8] के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उ0प्र0 राज्य एवं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं हरियाणा राज्यों के मध्य द्विपक्षीय करार सम्पादित किये गये थे परन्तु उ0प्र0 राज्य एवं दिल्ली, उत्तराखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर, बिहार तथा केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के मध्य विगत सात वर्षों से करार सम्पादित नहीं किये गये थे। उपरोक्त प्रदेशों के 1,526 मंजिली वाहनों का उत्तर प्रदेश में अ श्रेणी के मार्गों पर अप्रैल 2002 से मार्च 2007 के मध्य बिना प्रतिहस्ताक्षरित परमिटों के संचालन जारी था। वाहनों के मालिकों ने कर एवं अतिरिक्त कर की देय धनराशि 96.36 करोड़ रुपये के बजाय 39.24 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया। फलस्वरूप 57.12 करोड़ रुपये के कर एवं अतिरिक्त कर का कम आरोपण हुआ। इसके अतिरिक्त 14.28 करोड़ रुपये का अधिकतम अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

[8] इलाहाबाद, आगरा, बॉदा, बरेली, चन्दौली, इटावा, गाजियाबाद, जी0बी0नगर, झॉसी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने अगस्त 2008 में बताया कि 8.62 करोड़ रुपये के कर एवं अतिरिक्त कर की वसूली कर ली गयी है तथा अवशेष धनराशि की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे है। अवशेष धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2008)।

4.2.9 प्रतिहस्ताक्षर शुल्क की वसूली न किया जाना

मो0वा0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी राज्य में मंजिली वाहनों के संचालन हेतु जारी परमिट किसी अन्य राज्य में तब तक वैध नहीं माना जायेगा जब तक कि उस राज्य के रा0प0प्रा0 द्वारा परमिट को प्रतिहस्ताक्षरित न कर दिया गया हो। उ0प्र0मो0वा0क0 नियमावली के अनुसार एक बार में 5 वर्षों के लिए प्रतिहस्ताक्षर शुल्क 4,800 रुपये प्रति वाहन वसूली योग्य है।

नौ स0प0अ0 एवं पॉच स0स0प0अ0[9] तथा रा0प0प्रा0 के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उ0प्र0 में संचालित अन्य राज्यों के 1,733 मंजिली वाहनों में से केवल 207 मंजिली वाहनों के परमिट उ0प्र0 के रा0प0प्रा0 से प्रतिहस्ताक्षरित कराये गये थे तथा अप्रैल 2002 से मार्च 2007 की अवधि के दौरान अवशेष 1,526 मंजिली वाहन, परमिट को प्रतिहस्ताक्षरित कराये बिना ही संचालित थे। फलस्वरूप 73.25 लाख रुपये के प्रतिहस्ताक्षर शुल्क की वसूली नहीं हुयी।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि सघन परीक्षण के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4.2.10 माल वाहनों से कर एवं अतिरिक्त कर की वसूली न किया जाना

4.2.10.1 उ0प्र0मो0वा0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 में पंजीकृत सभी माल वाहनों पर, जो कि अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित हैं, विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार कर एवं अतिरिक्त कर आरोपणीय है। यदि निर्धारित अवधि में कर एवं अतिरिक्त कर जमा नहीं किया जाता है तो निर्धारित देय धनराशि का 25 प्रतिशत से अनाधिक अर्थदण्ड देय होगा।

चार[10] स0प0अ0 के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अप्रैल 2002 से मार्च 2007 की अवधि के दौरान उ0प्र0 में पंजीकृत तथा राष्ट्रीय परमिट योजना से आच्छादित 1,146 माल वाहनों ने 3.51 करोड़ रुपये के कर एवं अतिरिक्त कर का भुगतान नहीं किया। 87.83 लाख रुपये का अधिकतम आरोपणीय अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

4.2.10.2 उ0प्र0मो0वा0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहन, जिनके पास सम्पूर्ण उ0प्र0 का परमिट हो, उ0प्र0 में बिना कर एवं अतिरिक्त कर के भुगतान के संचालित पाये जाते हैं तो यथा निर्धारित देय धनराशि का 25 प्रतिशत से अनाधिक अर्थदण्ड देय होगा।

---

[9] इलाहाबाद, आगरा, बॉदा, बरेली, चन्दौली, इटावा, गाजियाबाद, जी0बी0नगर, झॉसी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर।

[10] इलाहाबाद,झॉसी,लखनऊ एवं वाराणसी।

तीन स0प0अ0 एवं एक स0स0प0अ0[11] के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अन्य राज्यों के 781 वाहन जो उ0प्र0 हेतु परमिट धारक थे, वर्ष 2003–04 व 2006–07 के मध्य की अवधि में 61.95 लाख रुपये के अतिरिक्त कर का भुगतान किये बिना ही उ0प्र0 में संचालित थे। ऐसे वाहनों पर 15.49 लाख रुपये का अधिकतम अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने अगस्त 2008 में बताया कि कर एवं अतिरिक्त कर की बकाया धनराशि हेतु देनदारों के विरूद्ध मॉग पत्रों/वसूली प्रमाण पत्रों को जारी किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आगे की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी (नवम्बर 2008)।

4.2.11 वाहनों के यान भार पर कर का अनारोपण

उ0प्र0मो0वा0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सवारी वाहनों से सीमित संख्या में यात्री एवं उनके सीमित मात्रा में सामानों के परिवहन हेतु वाहन के पंजीकृत सकल यान भार (स0या0भा0) पर 45 रुपया प्रति तिमाही प्रति मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए कर आरोपणीय है। यदि निर्धारित समय में कर जमा नहीं किया जाता है तो देय धनराशि के 25 प्रतिशत से अनाधिक अर्थदण्ड देय होगा।

नौ[12] स0प0अ0 एवं अट्ठारह[13] स0स0प0अ0 के कार्यालयों के अभिलेखों की अप्रैल 2002 और मार्च 2007 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 8,962 सवारी वाहन, यात्रियों एवं सीमित मात्रा में यात्रियों के सामानों के परिवहन के लिए संचालित थे। यद्यपि उन वाहनों से नियमित कर एवं अतिरिक्त कर की वसूली की जा रही थी किन्तु विभाग द्वारा वाहनों के सकल यान भार पर 6.06 करोड़ रुपये के कर को नहीं लगाया गया। इसके अतिरिक्त 1.28 करोड़ रुपये का अधिकतम अर्थदण्ड भी आरोपित नहीं किया गया।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने अगस्त 2008 में बताया कि 18 लाख रुपये के कर की वसूली कर ली गयी है। अवशेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2008)।

4.2.12 आदेशों के वितरण में विलम्ब

उ0प्र0 शासन द्वारा 2002–03 से 2005–06 की अवधि के दौरान समय–समय पर अतिरिक्त कर की दरों में संशोधन किया गया। अतिरिक्त कर की ये दरें 2 नवम्बर 2002 से तथा उसके पश्चात् 17 मार्च 2006 से संशोधित की गयी थीं। अतिरिक्त कर की संशोधित दरें विज्ञप्ति जारी करने की तिथि से लागू थीं।

स0प0अ0 आगरा एवं राज्य की सीमा पर स्थित 32 कर संग्रह केन्द्रों के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में नवम्बर 2002 और मार्च 2007 के मध्य यह देखा गया कि 22,956 मामलों में सम्बन्धित अधिकारियों ने पूर्व संशोधित दरों पर 3.51 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर की वसूली की जबकि संशोधित दरों के अनुसार 9.51 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर की वसूली की जानी चाहिए थी। अभिलेखों के पुनरीक्षण से यह तथ्य

[11] बरेली, ललितपुर, मिर्जापुर एवं सहारनपुर ।

[12] आगरा,इलाहाबाद,बरेली,गोरखपुर,झॉसी,लखनऊ,मुरादाबाद,सहारनपुर एवं वाराणसी।

[13] बागपत,बिजनौर,बुलन्दशहर,देवरिया,इटावा,फर्रूखाबाद,हरदोई,जालौन,कानपुर देहात, कौशाम्बी, कुशीनगर, मैनपुरी, मऊ,मथुरा, मुजफ्फरनगर, रायबरेली,सीतापुर एवं उन्नाव।

प्रकाश में आया कि संशोधित दरों की अनुसूची क्षेत्रीय कार्यालयों में समय से वितरित नहीं की गयी थी। आदेशों के वितरण में एक से 14 माह का विलम्ब था। इस प्रकार, आदेशों के विलम्ब से वितरण के फलस्वरूप 6 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर की वसूली नहीं हुयी जैसा कि परिशिष्ट II में दिखाया गया है।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने ले0प0स0स0 की बैठक में बताया कि भविष्य में आदेशों का समय से वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

4.2.13 अन्य राज्यों के वाहनों पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0मो0वा0क0 अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत उ0प्र0 की सीमा में प्रवेश हेतु अन्य राज्यों के परिवहन वाहन बिना राज्य का अस्थाई परमिट प्राप्त किये तथा अधिनियम में विनिर्दिष्ट कर एवं अतिरिक्त कर का भुगतान किये बिना उ0प्र0 में संचालित नहीं होंगे। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कर एवं अतिरिक्त कर के साथ देय धनराशि के 10 गुने के बराबर अर्थदण्ड भी आरोपणीय होगा।

आठ[14] स0प0अ0 एवं पॉच स0स0प0अ0[15] के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अन्य राज्यों के 891 वाहन, 2004–05 से 2005–06 के मध्य की अवधि में उ0प्र0 में बिना वैध परमिट के ही संचालित पाये गये थे। 37.54 लाख रुपये का कर एवं अतिरिक्त कर भी जमा नहीं किया गया था। विभाग की प्रवर्तन शाखा ने इन वाहनों को रोका एवं चालान किया। यद्यपि 37.54 लाख रुपये के कर एवं अतिरिक्त कर की वसूली कर ली गयी परन्तु 3.75 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने अगस्त 2008 में बताया कि अर्थदण्ड केवल चालान किये गये वाहनों पर ही आरोपणीय है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स0प0अ0 इलाहाबाद के अधीन कर संग्रह केन्द्र, चौखटा के अभिलेखों के सत्यापन में यह तथ्य प्रकाश में आया कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित 117 चालान किये गये वाहनों में से किसी भी मामले में अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया था।

4.2.14 द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय मार्गों पर मंजिली वाहनों से अतिरिक्त कर का अवनिर्धारण

उ0प्र0मो0वा0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत (अगस्त 2004 में यथासंशोधित)[16] द्विपक्षीय समझौते के अधीन उ0प्र0 में अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित प्राइवेट आपरेटरों एवं अन्य राज्यों के परिवहन निगमों के स्वामित्व वाले मंजिली वाहनों पर विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार अतिरिक्त कर आरोपणीय है।

चार स0प0अ0[17] एवं एक स0स0प0अ0 के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि चार राज्यों[18] के 207 सवारी वाहन अप्रैल 2002 से मार्च 2007 की अवधि के दौरान उ0प्र0 में अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित थे। विभाग द्वारा 6.50 करोड़ रुपये की देय अतिरिक्त कर की राशि के स्थान पर 3.99 करोड़ रुपये का

---

[14] इलाहाबाद,आगरा,बरेली,झॉसी,लखनऊ,मिर्जापुर,मुरादाबाद एवं सहारनपुर।

[15] चन्दौली,इटावा,गौतम बुद्ध नगर,मथुरा एवं मुजफ्फरनगर।

[16] विज्ञप्ति सं0–1227 / सात–V-I-I(क)28–2004 लखनऊ 13 अगस्त 2004।

[17] स0प0अ0 आगरा,गाजियाबाद,झॉसी,सहारनपुर एवं स0स0प0अ0 मुजफ्फरनगर।

[18] हरियाणा,हिमाचल प्रदेश,राजस्थान एवं मध्य प्रदेश।

आरोपण करके उसकी वसूली की गयी। फलस्वरूप 2.51 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर की कम वसूली हुयी।

मामले को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने अगस्त 2008 में बताया कि अतिरिक्त कर की अन्तरीय राशि की वसूली की जायेगी। वसूली के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2008)।

4.2.15 राष्ट्रीय परमिट का निरस्त न किया जाना

मो0वा0 अधिनियम, सपठित के0मो0वा0 नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत गृह राज्य में राष्ट्रीय परमिट धारक वाहनों पर 500 रुपये प्रति वाहन प्रति वर्ष प्राधिकार शुल्क आरोपणीय है। यह शुल्क बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यदि वाहन का स्वामी परमिट की समाप्ति के 15 दिन पूर्व इसके नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र देने में असफल रहता है तो उसका परमिट मो0वा0 अधिनियम की धारा 86 के प्रावधान के अनुसार निरस्त किया जा सकता है।

10 स0प0अ0[19] के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अप्रैल 2002 से मार्च 2007 की अवधि के दौरान 949 मामलों में सम्बन्धित स0प0अ0 द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय परमिटों को विनिर्दिष्ट समय के अन्दर नवीनीकृत नहीं कराया गया। विभाग ने भी उनके परमिटों को निरस्त नहीं किया।

मामले को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने अगस्त 2008 में बताया कि परमिटों के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। अग्रेतर स्थिति प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2008)।

4.2.16 निष्कर्ष

यह देखा गया कि विभाग में कार्य शैली की प्रक्रिया, नियंत्रण अभिलेखों, प्राधिकारियों के विशिष्ट कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को इंगित करने वाला विभागीय मैनुअल नहीं है। परिणामस्वरूप अन्य राज्यों से प्राप्त हो रही धनराशि उचित एवं सही तरीके से लेखांकित नहीं हो रही है। कर, अतिरिक्त कर, शुल्क एवं अर्थदण्ड की समय से वसूली हेतु विभाग में नियंत्रण अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से नहीं रखा जा रहा है। अधिकारियों की गलतियों के लिये उनके उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही के निर्धारण हेतु प्रभावी एवं कार्यकुशल तंत्र का अभाव है।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने अगस्त 2008 में बताया कि लेखा परीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं और संज्ञान में लायी गयी कमियों को परिवहन मैनुअल की संरचना करते समय ध्यान में रखा जायेगा। कमियों को दूर करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे ।

[19] इलाहाबाद,आगरा,अलीगढ़,बरेली,गोरखपुर,झॉसी,लखनऊ,मुरादाबाद,मिर्जापुर एवं वाराणसी।

4.2.17 संस्तुतियों का सारांश

शासन विचार कर सकता है कि :

- रा०प०प्रा० से सामयिक विवरणी को मंगाया जाये जिसमें उ०प्र० में वाहनों के संचालन हेतु अन्य राज्यों द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय परमिट पर राजस्व के रिसाव को रोका जा सके और राजस्व हानि के रास्तों को बन्द किया जा सके;
- बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से करों के संग्रहण पर निगरानी हेतु मासिक विवरणी बनवाने की व्यवस्था की जाये ;
- उ०प्र० राज्य में वाहनों के संचालन हेतु अधिकृत किये गये अन्य राज्यों के वाहन मालिकों से समय पर एवं सही कम्पोजिट फीस जमा कराने के लिये विवरणी के निर्धारण की व्यवस्था की जाये; तथा
- आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिये तुरन्त कदम उठाये जायें ।

4.3 यात्री वाहनों पर अतिरिक्त कर का कम आरोपण

उ०प्र०मो०वा०क० अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत मंजिली वाहनों पर 1 नवम्बर 2002 तक 'ए' श्रेणी के मार्गों पर 9,000 कि०मी० तक की दूरी पर चार सोपानों में अतिरिक्त कर लागू था। 2 नवम्बर 2002 से चारो सोपानों को मिलाकर एक सोपान बना दिया गया और 9,000 कि०मी० तक के लिए 'ए' श्रेणी के मार्गों पर 376 रुपया प्रति सीट प्रति तिमाही की दर से अतिरिक्त कर देय था। अग्रेतर, 17 मार्च 2006 को इसे संशोधित किया गया एवं संशोधित दरों के अनुसार 'ए' श्रेणी के मार्गों पर 18,000 कि०मी० से अधिक दूरी होने पर 705 रुपये की दर से तथा 5,700 कि०मी० या उसके किसी भाग के लिए जोड़कर, 256 रुपये प्रति सीट प्रति तिमाही की दर से अतिरिक्त कर देय था।

स०प०अ० अलीगढ़, स०स०प०अ० लखीमपुर खीरी और कुशीनगर के कार्यालयों के अभिलेखों की नवम्बर 2006 और दिसम्बर 2007 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अप्रैल 2005 से सितम्बर 2007 के दौरान 'ए' श्रेणी के मार्गों पर संचालित 42 वाहनों के मामलों में संशोधित दरों के अनुसार 55 लाख रुपये के स्थान पर पूर्व संशोधित दरों पर 40 लाख रुपये का ही अतिरिक्त कर आरोपित किया गया। अग्रेतर, यह भी देखा गया कि 46 वाहनों के मामलों में 1.09 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर आरोपणीय था जबकि अवनिर्धारण के फलस्वरूप केवल 37 लाख रुपये का ही कर आरोपित किया गया। अतिरिक्त कर के अवनिर्धारण एवं पूर्व संशोधित दरों को लागू किये जाने के फलस्वरूप 87 लाख रूपये के अतिरिक्त कर का कम आरोपण हुआ ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2008); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2008)।

अध्याय–V
स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2007–08 के दौरान स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अभिलेखों की नमूना जॉच में 93.30 करोड़ रुपये के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के अनारोपण/कम आरोपण के 320 मामले प्रकाश में आये जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

क0 सं0	श्रेणियॉं	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	सम्पत्ति तथा विभिन्न प्रकृति के विलेखों के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क प्रभारित किए जाने में कमियॉं (एक समीक्षा)	1	87.09
2.	विलेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	58	2.00
3.	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	115	1.15
4.	बन्धक पत्रों पर कम स्टाम्प शुल्क का जमा किया जाना	72	1.28
5.	अन्य अनियमिततायें	74	1.78
योग		**320**	**93.30**

87.09 करोड़ रुपये की सम्पत्ति तथा विभिन्न प्रकृति के विलेखों के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क प्रभारित किए जाने में कमियॉं विषयक समीक्षा का वर्णन अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित है।

5.2 सम्पत्ति तथा विभिन्न प्रकार के विलेखों के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क प्रभारित किए जाने में कमियॉ

मुख्य अंश

- विकासशील क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपित किए जाने के प्रावधान के अस्तित्व में न होने के फलस्वरूप 344.19 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुयी।

(प्रस्तर 5.2.6)

- औद्योगिक सम्पत्ति की बिक्री पर स्टाम्प शुल्क के अनारोपण के फलस्वरूप 36.72 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुयी।

(प्रस्तर 5.2.7)

- आवासीय तथा वाणिज्यिक भूमि / भवन के अवमूल्यांकन के फलस्वरूप 34.30 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ।

(प्रस्तर 5.2.9)

- वृतीय दर के गलत निर्धारण के कारण स्टाम्प शुल्क के कम आरोपण के फलस्वरूप 2.93 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुयी।

(प्रस्तर 5.2.14)

5.2.1 प्रस्तावना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम (भा0स्टा0अधिनियम) 1899, भारतीय निबन्धन अधिनियम (भा0नि0अधिनियम) 1908, उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (स्टा0स0का मू0) नियमावली, 1997 तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं परिपत्रों के अन्तर्गत राज्य में स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस से प्राप्तियॉ विनियमित की जाती हैं। विलेखों के निष्पादन पर निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। स्टाम्प शुल्क का अपवंचन, सामान्यतः सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन, विलेखों को निबन्धन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत न किए जाने तथा निष्पादनकर्ताओं द्वारा निबन्धन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विलेखों पर स्टाम्प शुल्क के कम / न भुगतान किए जाने के कारण होता है।

सम्पत्ति तथा विभिन्न प्रकार के विलेखों के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क प्रभारित किए जाने में कमियों पर एक समीक्षा तैयार की गई जिसमें व्यवस्था तथा अनुपालन सम्बन्धी कई कमियॉ प्रकाश में आयीं जो नीचे दिये गये प्रस्तरों में वर्णित हैं।

5.2.2 संगठनात्मक ढॉचा

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, मार्गदर्शन तथा नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक निबन्धन विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं (म0नि0नि0) तथा विभाग के कार्यान्वयन पर समग्र अधीक्षण तथा नियंत्रण का संचालन करते हैं। उनकी सहायता हेतु एक अपर महानिरीक्षक (अ0म0नि0), मण्डल स्तर पर 17 उप महानिरीक्षक (उ0म0नि0), जिला स्तर पर 63 सहायक महानिरीक्षक (स0म0नि0) तथा जिलों एवं तहसील स्तरों पर 347 उप निबन्धक (उ0नि0) कार्यरत हैं।

5.2.3 लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं कार्य प्रणाली

राज्य के 70 जिलों में से 24 जिलों के 63 उ0नि0 के कार्यालयों में समीक्षा सम्पादित की गयी। इसके अतिरिक्त म0नि0 तथा उ0प्र0 के शासकीय समापक के कार्यालयों से भी सूचनायें एकत्रित की गई। राजस्व संग्रह तथा निबन्धित विलेखों की संख्या के आधार पर इकाइयों का चयन किया गया। स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान उद्घाटित ऐसे मामलों को भी, जिनको पूर्ववर्ती वर्षों के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया गया था, समीक्षा में सम्मिलित किया गया है।

5.2.4 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से समीक्षा सम्पन्न की गई कि :

- क्या निर्धारित नियमों तथा प्रकिया के अनुसार निबन्धन प्राधिकारियों द्वारा स्टाम्प शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण सम्बन्धी अपने कर्तव्यों का निर्वहन, किया जा रहा है; और
- स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस के आरोपण एवं उद्ग्रहण हेतु समुचित आंतरिक नियंत्रण तंत्र अस्तित्व में है।

5.2.5 अभिस्वीकृति

लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक सूचनाओं तथा अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिये भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग निबन्धन विभाग के सहयोग के लिये आभार प्रकट करता है। विभाग के साथ एक वैचारिक बैठक आयोजित की गयी जिसमें समीक्षा को सम्पन्न किए जाने हेतु कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर विचार विमर्श किया गया। समीक्षा का आलेख प्रतिवेदन, विभाग एवं शासन को मई 2008 में प्रेषित किया गया था। लेखा परीक्षा समीक्षा समिति की बैठक जुलाई 2008 में की गयी। शासन की ओर से प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन तथा विभाग की ओर से अ0म0नि0 द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। शासन/ विभागीय दृष्टिकोण को सम्बन्धित प्रस्तरों में सम्मिलित किया गया है.।

लेखा परीक्षा की उपलब्धियां

प्रकियात्मक कमियॉ

5.2.6 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के आरोपण हेतु प्रावधान का अस्तित्व में न होना

छावनी क्षेत्रों तथा रक्षा विभाग के प्रयोजन हेतु केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली अधिग्रहीत या पट्टे पर ली गई भूमि को छोड़कर समस्त उत्तर प्रदेश में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (उ0प्र0न0नि0 वि0अधिनियम) की व्यवस्था प्रभावी है। उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि अन्तरित सम्पत्ति किसी विकासशील क्षेत्र में स्थित है तो भा0स्टा0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त सम्पत्ति के मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि राज्य सरकार राज्य के अन्दर योजना के अनुसार किसी क्षेत्र को विकसित करना अपेक्षित समझती है तो राजाज्ञा में विज्ञप्ति के द्वारा उस क्षेत्र को विकासशील क्षेत्र घोषित कर

सकती है। सरकार ने उ0प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 (उ0प्र0औ0वि0 अधिनियम) के अन्तर्गत कुछ क्षेत्र जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा आदि क्षेत्रों का विकास किया है। तथापि सरकार ने इन क्षेत्रों को, उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत, विकासशील क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं किया/विज्ञप्ति नहीं की। प्रभावी विज्ञप्ति के अभाव में निबन्धन अधिकारी इन क्षेत्रों के निबन्धित विलेखों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं कर सके।

उ0नि0 I,II,III नोएडा तथा उ0नि0 ग्रेटर नोएडा के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रभावी विज्ञप्ति के अभाव में नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा के विकासशील क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों पर जिनका निष्पादन अप्रैल 2003 और मार्च 2007 के मध्य किया गया था, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण नहीं किया गया जबकि नोएडा के प्रशासकीय भूमि क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित चार राजस्व ग्रामों[1] में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपित किया जा रहा था। फलस्वरूप नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 344.19 करोड़ रुपये का अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं किया गया :

(करोड़ रुपये में)

क. सं.	इकाई का नाम	वर्ष / अनारोपण की धनराशि				योग
		2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	
1.	उ0नि0 I नोएडा	10.76	14.44	18.69	34.00	77.89
2.	उ0नि0 II नोएडा	11.22	22.41	17.49	52.45	103.57
3.	उ0नि0 III नोएडा	8.97	10.14	10.41	30.53	60.05
4.	उ0नि0 ग्रेटर नोएडा	11.50	12.45	23.75	54.98	102.68
योग		**42.45**	**59.44**	**70.34**	**171.96**	**344.19**

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् शासन ने जुलाई 2008 में बताया कि अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क केवल नगरीय क्षेत्रों में आरोपणीय है तथा नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा का गठन औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत किया गया है।

चूँकि शासन अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में प्रचुर धनराशि से वंचित हो रहा है अतः अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपित किए जाने के उद्देश्य से उ0प्र0औ0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत विकसित किये गये क्षेत्रों को विकासशील क्षेत्रों के रूप में घोषित करने की विज्ञप्ति जारी किए जाने पर विचार करना चाहिए।

5.2.7 औद्योगिक सम्पत्ति की बिक्री पर स्टाम्प शुल्क का अनारोपण

भा0स्टा0 अधिनियम की अनुसूची I ख के अनुच्छेद 18 के अनुसार जहॉ सिविल या राजस्व न्यायालय या जिलाधिकारी अथवा अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा किसी सम्पत्ति की बिक्री सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से किये जाने का विक्रय प्रमाण पत्र (अलग अंश के रूप में रख कर बेची गयी प्रत्येक सम्पत्ति के मामले में) क्रेता को स्वीकृत किया जाता है तो उस पर केवल क्रय मूल्य की धनराशि के बराबर बाजार मूल्य पर अन्तरण की भॉति स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि विभाग के पास सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारित बीमार औद्योगिक इकाइयों की

[1] छजांरसी,हसनपुर–भावपुर,मकनपुर तथा मोहीउद्दीनपुर–कनवासी।

सम्पत्ति पर स्टाम्प शुल्क के आरोपण हेतु उद्योग विभाग से सूचना प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

शासकीय समापक के कार्यालय से मार्च 2008 में संग्रहीत सूचना के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2005–06 में 459 करोड़ रुपये के प्रतिफल पर तीन बीमार औद्योगिक इकाइयों का निस्तारण सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से किया गया जिस पर 36.72 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था। यह देखा गया कि मार्च 2008 तक विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया गया था। फलस्वरूप 36.72 करोड़ रुपये के स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं हुई।

अतः शासन स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को स्टाम्प शुल्क के आरोपण हेतु बीमार औद्योगिक इकाइयों के निस्तारण के सम्बन्ध में सूचना प्रदान कराये जाने की व्यवस्था का निर्धारण किए जाने पर विचार कर सकता है।

5.2.8 अचल सम्पत्तियों के अन्तरण सम्बन्धी विलेखों के निबन्धन हेतु समय सीमा निर्धारित न किया जाना

म0नि0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के अंतरण से सम्बन्धित विलेखों का निबन्धन, स्वामी के मरणोपरान्त सम्पत्ति के अन्तरण के मामले को छोडकर, अनिवार्य है। पुनः, अगस्त 1998 से सम्पत्ति के प्रतिफल की धनराशि अथवा बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर आठ प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। विलेखों के निबन्धन हेतु न तो कोई समय सीमा निर्धारित है और न ही उनके निष्पादन के पश्चात् विलेखों के निबन्धन में विलम्ब के लिए किसी दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया गया है।

उ0नि0 III नोएडा तथा उ0नि0 ग्रेटर नोएडा के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 13 निजी भवन निर्माताओं द्वारा 285.81 करोड़ रुपये के 2,494 आवासीय भवन वर्ष 2005–06 के दौरान क्रेताओं को हस्तान्तरित कर दिये गये थे। इन भवनों के स्वामियों ने विलेखों को निबन्धन हेतु प्रस्तुत नहीं किया। विलेखों के निबन्धन हेतु किसी भी समय सीमा का निर्धारण न होने के कारण निबन्धन अधिकारी इन विलेखों के निबन्धन हेतु कोई कार्यवाही नहीं कर सके। फलस्वरूप 22.86 करोड़ रुपये के स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने के पश्चात् शासन ने जुलाई 2008 में बताया कि भा0स्टा0 अधिनियम में किसी प्रावधान के अभाव में, अचल सम्पत्ति के विलेखों को निबन्धन हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। नये अधिनियम को तैयार करने की प्रकिया चल रही है तथा विधान सभा के अगले सत्र में इसे रखा जाएगा।

अतः शासन अचल सम्पत्ति पर कब्जा के हस्तांतरण/दिये जाने के पश्चात् विलेखों के निबन्धन हेतु समय सीमा के निर्धारण तथा निर्धारित समय सीमा के अन्दर विलेखों के निबन्धन कराने में असफलता के लिए दण्डात्मक कार्यवाही के प्रावधान के निर्धारण पर विचार कर सकता है।

5.2.9 विकय विलेख के निष्पादन में स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भा0स्टा0 अधिनियम के अन्तर्गत अन्तरण विलेख पर सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उसमें प्रदर्शित प्रतिफल का मूल्य, जो भी अधिक हो, स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। स्टा0स0 का मू0 नियमों के अनुसार प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी द्वारा इसके अन्तर्गत

निर्धारित प्रकिया का अनुपालन करने के पश्चात् किसी सम्पत्ति के अन्तरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किए जाने के उद्देश्य से जिले में स्थित भूमि/ सम्पत्ति के न्यूनतम बाजार मूल्य का निर्धारण इलाकेवार तथा श्रेणीवार किया जाता है। तथापि, शासन ने कृषि, आवासीय, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्देश्यों के प्रयोजन से सम्पत्ति पर स्टाम्प शुल्क आरोपित करने में यथातथ्यता को सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था/ तंत्र या अभिलेखों को प्रस्तुत करना निर्धारित नहीं किया। मई 2003 की शासन की विज्ञप्ति के अनुसार पंजीकृत निजी भवन निर्माता पुनः बिक्री करने पर स्टाम्प शुल्क में निश्चित शर्तों तथा उपबन्धों के साथ छूट के पारस्परिक अनुबंध द्वारा भूमि के अन्तरण विलेख पर देय पूर्ण स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह प्रावधान केवल भूमि के अन्तरण के मामले में ही प्रभावी है। किसी निर्धारित तंत्र के अभाव में निबन्धन अधिकारियों ने विभिन्न प्रकृति के विलेखों पर गलत दरें लागू की जैसा कि नीचे वर्णित है :

5.2.9.1 आवासीय तथा वाणिज्यिक भूमि का मूल्यांकन कृषि भूमि की भाँति किया गया

39 उ0नि0 कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जून 2002 और मार्च 2007 के मध्य 172 अन्तरण विलेख कृषि दर से मूल्यांकन पर 44.04 करोड़ रुपये पर निबन्धित किए गए जिन पर 4.28 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया। विलेखों में प्रदर्शित सम्पत्तियों की चौहद्दी की स्थिति, क्षेत्र तथा सम्पत्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात हुआ कि सम्पत्तियॉ आवासीय/वाणिज्यिक प्रकृति की थीं तथा इस प्रकार की सम्पत्तियों के लिए निर्धारित दरें लागू की जानी चाहिए थीं। आवासीय/वाणिज्यिक दरों पर बाजार मूल्य 361.57 करोड़ रुपये पर 22.23 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था। आवासीय तथा वाणिज्यिक भूमि का मूल्यांकन कृषि भूमि की भाँति किए जाने के फलस्वरूप परिशिष्ट–III में दर्शाए गए विवरण के अनुसार 17.95 करोड़ रुपये के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ।

5.2.9.2 भूमि तथा भवन का गलत मूल्यांकन

32 उ0नि0 कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि फरवरी 2003 और मार्च 2007 के मध्य 158 अन्तरण विलेखों का निबन्धन किया गया। विलेखों में प्रदर्शित 45.54 करोड़ रुपये प्रतिफल पर भूमि एवं भवनों की बिक्री के मद में 14.21 करोड़ रुपये के स्थान पर 4.36 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया जबकि भूमि एवं भवन का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य के आधार पर करना था। फलस्वरूप परिशिष्ट–IV में दर्शाये गये विवरण के अनुसार 9.85 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ।

5.2.9.3 भूमि तथा भवन का वाणिज्यिक दर के बजाय आवासीय दर पर मूल्यांकन

24 उ0नि0 कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि फरवरी 2004 तथा मार्च 2007 के मध्य 57 अन्तरण विलेख निबन्धित किए गए। आवासीय दरों पर सम्पत्तियों का मूल्यांकन 20.49 करोड़ रुपये करते हुए 1.88 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया। विलेखों में प्रदर्शित चौहद्दी की स्थिति तथा सम्पत्ति के प्रयोजनों से ज्ञात हुआ कि सम्पत्ति वाणिज्यिक प्रकृति की थी तथा ऐसी सम्पत्तियों पर तद्नुसार आरोपणीय दर लागू की जानी चाहिये थी। वाणिज्यिक सम्पत्तियों का आवासीय सम्पत्तियों की भाँति गलत मूल्यांकन किए जाने के फलस्वरूप

5.49 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया जैसा कि परिशिष्ट–V में दर्शाया गया है।

5.2.9.4 विकास प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरित भवन का अवमूल्यांकन

उ0नि0 IV, गाजियाबाद के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 5,643.92 वर्ग मीटर भूमि पर निर्मित भवनों के अन्तरण सम्बन्धी तीन विलेख फरवरी 2005 और मार्च 2005 के मध्य निबन्धित किए गए थे। तीनों भवन निजी भवन निर्माता को 7.99 करोड़ रुपये प्रतिफल पर बेचे गए थे जिन पर 79.90 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया था। चूँकि सम्व्यवहार भवन के विक्रय से सम्बन्धित था, भूमि से नहीं, अतः जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय दर के अनुसार भवन की मूल्यांकन राशि 18.06 करोड़ रुपये पर 1.81 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था। फलस्वरूप 1.01 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ।

मामलों को इंगित किए जाने के पश्चात् शासन ने जुलाई 2008 में बताया कि आपत्ति के अन्तर्गत अभिलेखों को सम्बन्धित जिलाधिकारियों को सम्पत्तियों के उचित मूल्यांकन हेतु सन्दर्भित कर दिया गया है। पुनः यह भी बताया गया कि आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा की स्थापना कर दी गई है जो अवमूल्यांकन के अभिलेखों का पुनरीक्षण करेगी।

शासन भूमि/सम्पत्ति के नक्शे के साथ ही साथ खसरा जैसे अभिलेखों तथा अन्तरक द्वारा स्टा0स0 का मू0 नियमावली के नियम 6[2] के तहत निर्धारित प्रारूप में घोषणा के प्रस्तुत किये जाने तथा जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा वितरित की गयी दर की सूची में कृषि, आवासीय, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत किये जाने के निर्धारण पर विचार कर सकता है।

5.2.10 मानक पट्टा किराया निर्धारित न किया जाना

भा0स्टा0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, 20 तथा 30 वर्षों तक की अवधि के लिए वार्षिक आरक्षित किराये की धनराशि के पॉच तथा छः गुने प्रतिफल के अन्तरण पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। पट्टे के न्यूनतम वार्षिक किराये को निर्धारित करने का प्रावधान अधिनियम/नियमावली में नहीं हैं।

दो उ0नि0[3] कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वाणिज्यिक भूमि से सम्बन्धित 84 में से 4.13 करोड़ रुपये के चार पट्टा विलेख 20 तथा 30 वर्ष की अवधि के लिए जुलाई 2005 तथा मार्च 2006 के मध्य, 252 रुपये प्रतिफल (वार्षिक किराया 12 रुपये) पर निबन्धित किए गए जिन पर 610 रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया। यह देखा गया कि क्षेत्रीय दर पर मूल्यांकित 4.13 करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्तियों का पट्टा मात्र 1 रुपये प्रतिमाह के नाम मात्र किराये पर किया गया। यदि बैंक ब्याज की सामान्य दर आठ प्रतिशत से गणना की जाय तो पट्टा कर्ता (भूस्वामी) 33.04 लाख रुपये वार्षिक आय प्राप्त कर सकता था। यदि 33.04 लाख रुपये के बैंक ब्याज को वार्षिक पट्टा किराये के रूप में लाभ मान लिया जाय तो 17.47 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क आरोपित किया जा सकता था। इस प्रकार, प्राधिकारियों द्वारा मानक पट्टा किराया निर्धारित किए जाने के किसी भी प्रावधान के

[2] अन्तरक द्वारा उपलब्ध कराया गया बाजार मूल्य का विवरण पत्र।

[3] उ0नि0 इटावा और जौनपुर।

अभाव में शासन को अनुलग्नक–VI में दिखायी गई सीमा तक के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् शासन ने जुलाई 2008 में आपत्तियों को स्वीकार किया और बताया कि इस मुद्दे पर अधिनियम में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव किया जा रहा है।

शासन राज्य के राजस्व के हित में पट्टे पर दी गयी सम्पत्तियों के लिए न्यूनतम वार्षिक किराये के निर्धारण हेतु प्रावधान बनाने पर विचार कर सकता है।

5.2.11 आन्तरिक लेखा परीक्षा

आन्तरिक लेखा परीक्षा नियन्त्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है जो किसी संगठन को आश्वस्त करता है कि निर्धारित व्यवस्थायें तर्क संगत ढंग से अच्छी तरह कार्य कर रही हैं और सामान्यतः इसे सभी नियन्त्रणों पर नियन्त्रण माना जाता है।

फिर भी यह देखा गया कि विभाग में नियंत्रण में विफलता के जोखिम को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा (आ0ले0प0शा0) अस्तित्व में नहीं है।

मामले को प्रतिवेदित किए जाने के पश्चात् शासन ने जुलाई 2008 में बताया कि विभाग में आ0ले0प0 की शाखा स्थापित की जा चुकी है।

अनुपालन में कमियाँ

5.2.12 विभिन्न प्रकार के पट्टों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भा0स्टा0 अधिनियम के अन्तर्गत किसी विलेख पर जहाँ पट्टा की अवधि 30 वर्षों से अधिक के लिए निर्धारित हो या निरन्तर हो अथवा किसी निश्चित अवधि के लिए निर्धारित न हो तो उस हस्तान्तरण विलेख पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के प्रतिफल के बराबर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। म0नि0नि0 ने 22 अप्रैल 2003 को यह स्पष्ट किया कि यदि कोई पट्टा 30 वर्षों तक की अवधि का है और जिसे आगे किसी निश्चित अथवा अनिश्चित अवधि के लिए बढ़ाये जाने का प्रावधान है तो उस सम्पत्ति के बाजार मूल्य के प्रतिफल पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय होगा।

5.2.12.1 39 उ0नि0 के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनवरी 2003 और फरवरी 2007 के मध्य 30 वर्ष की अवधि तक के 71 पट्टे विलेख पंजीकृत किये गये, जिस पर 32.32 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था। चूँकि विलेखों के विवरण में अनिश्चित काल तक की अवधि को बढ़ाने का प्रावधान किया गया था, अतः सम्पत्ति के बाजार मूल्य 72.08 करोड़ रुपये के आधार पर 6.87 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था। पट्टा अवधि की गलत संगणना के फलस्वरूप 6.54 करोड़ रुपये का कम स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया जैसा कि परिशिष्ट–VII में दर्शाया गया है।

5.2.12.2 उ0नि0 II, वाराणसी के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जून 2002 तथा सितम्बर 2006 के मध्य उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास

निगम (उ0प्र0रा0औ0वि0नि0) वाराणसी के क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति के नौ हस्तांतरण विलेख पट्टा ग्रहीता द्वारा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में 11.81 लाख रुपये के प्रतिफल के विरूद्ध उप पट्टे के रूप में निबन्धित किये गये थे जिन पर 1.18 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था। चूँकि उप पट्टे 30 वर्षों से अधिक की अवधि से सम्बन्धित थे अतः ये पट्टे 2.65 करोड़ रुपये बाजार मूल्य के हस्तान्तरण विलेख की भाँति पंजीकृत किये जाने थे, जिन पर 26.47 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था। फलस्वरूप 25.29 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया।

मामले को प्रतिवेदित किये जाने पर शासन ने जुलाई 2008 में बताया कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों को जाँच के लिए मामले सन्दर्भित किये जायेंगे। अग्रिम कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

5.2.13 विलेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भा0स्टा0 अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक विलेख पर उसमें निर्धारित की गई दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क आरोपणीय होगा। किसी विलेख का वर्गीकरण अभिलेखों में दिये गये विवरणों के आधार पर किया जाना चाहिए न कि उसके शीर्षक के आधार पर।

31 उ0नि0 के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मई 2002 और फरवरी 2007 के मध्य पंजीकृत किये गये 90 विलेखों को उनके शीर्षक के आधार पर वर्गीकृत करके तद्नुरूप स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया। इन अभिलेखों के विवरणों के पुनरीक्षण पर यह ज्ञात हुआ कि इन अभिलेखों का गलत वर्गीकरण किया गया था जिसके फलस्वरूप नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 4.51 करोड़ रुपये के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ :

(लाख रुपये में)

क0 सं0	विलेखों की सं0 तथा मूल्य	स्टा0 शु0 आरोपणीय / आरोपित	स्टा0 शु0 का कम आरोपण	अनियमितता की प्रकृति
1.	45 2,992.84	288.35 0.02	286.29	हस्तान्तरण विलेखों को तितिम्मा विलेखों के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया।
2.	39 1,667.62	157.79 0.28	157.79	हस्तान्तरण विलेखों को मुख्तारनामा के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया।
3.	3 64.50	4.52 0.28	4.24	बन्धक विलेखों को शीर्षक विलेखों के जमा के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया।
4.	1 15.12	1.51 0	1.51	हस्तान्तरण विलेख को पट्टा विलेख के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया।
5.	1 15.00	1.35 0.10	1.25	बन्धक विलेख को बैंक गारन्टी के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया।
6.	1 7.02	0.49 0.07	0.42	व्यवस्थापन विलेख को ट्रस्ट विलेख के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया।
योग	**90 4,762.10**	**454.01 2.54**	**451.47**	

मामले को प्रतिवेदित किये जाने के पश्चात् शासन ने जुलाई 2008 में बताया कि मामले सम्बन्धित जिलाधिकारियों को जाँच के लिए सन्दर्भित किये जायेंगे। अग्रेतर सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2008)।

5.2.14 बाजार मूल्य के गलत निर्धारण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

स्टा0स0 का मू0 नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जिले का जिलाधिकारी भूमि एवं भवन के मूल्यांकन के लिए द्विवार्षिक न्यूनतम दर का निर्धारण करेगा। यदि निर्धारित दर में मूल्य या किराये के दर निर्धारण में कोई त्रुटि/गलती पायी जाती है तो निर्धारण की तिथि से दो वर्ष की अवधि के अन्दर उनके द्वारा इसे संशोधित किया जा सकता है।

वाराणसी सदर की वर्ष 2002–03 की द्विवार्षिक दर सूची के पुनरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा अप्रैल 2002 में भूमि/भवनों के दर का निर्धारण नवम्बर 1999 के निर्धारण में 16 प्रतिशत की औसत वृद्धि के साथ निर्धारित किया गया। आगे, चार माह पश्चात् दरों की गलती को सुधारने के लिए ये दरें 30 प्रतिशत औसत वृद्धि के साथ अगस्त 2002 में पुनः संशोधित की गयीं। यह बढ़ोत्तरी नवम्बर 1999 के द्विवार्षिक दर सूची का 50.8 प्रतिशत अधिक है। नवम्बर 1999 की दरों में 50.8 प्रतिशत औसत वृद्धि के बजाय यदि अप्रैल 2002 में द्विवार्षिक दरों का सही निर्धारण किया गया होता तो अगस्त 2002 में दरों के संशोधन से बचा जा सकता था और अप्रैल 2002 से जुलाई 2002 तक बढ़े हुये मूल्यांकन के आधार पर बढ़ा हुआ स्टाम्प शुल्क आरोपित किया जा सकता था। अप्रैल 2002 में द्विवार्षिक दरों के गलत निर्धारण के फलस्वरूप 2.93 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति हुई। विवरणों को नीचे दर्शाया गया है :

(लाख रुपये में)

क. सं.	इकाई का नाम	अप्रैल 2002 से जुलाई 2002 के दौरान चार माहों में आरोपित स्टाम्प शुल्क की धनराशि	राजस्व की क्षति (30 प्रतिशत)
1.	उ0 नि0 I वाराणसी	234.15	70.25
2.	उ0 नि0 IIवाराणसी	222.52	66.76
3.	उ0 नि0 III वाराणसी	260.20	78.06
4.	उ0 नि0 IV वाराणसी	260.43	78.13
	योग	**977.30**	**293.20**

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् शासन तथा विभाग ने बताया कि वार्षिक दरों के तर्कसंगत निर्धारण हेतु नियमों को बनाने की प्रकिया प्रारम्भ की जा रही है। वर्तमान समय में जिलाधिकारी के विवेक के अनुसार दरों का निर्धारण किया जाता है।

5.2.15 स्टाम्प शुल्क का अनियमित समायोजन

भा0स्टा0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि किसी सम्पत्ति के विकय के सम्बन्ध में ऐसा करार किया जाता है, जहाँ न तो सम्पत्ति का कब्जा दिया गया हो और न ही हस्तान्तरण विलेख का निष्पादन किये बिना ही दिये जाने की सहमति दी गयी हो तो ऐसे करार में प्रतिफल की राशि के पचास प्रतिशत पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय होगा। इस प्रकार भुगतान किया गया शुल्क, ऐसे करार के अनुसरण में हस्तान्तरण विलेख के निष्पादन के समय, कुल देय शुल्क के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

5.2.15.1 उ0नि0 I गाजियाबाद के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 21 जून 2004 को औद्योगिक सम्पत्ति की बिक्री का एक करार 23 करोड़ रुपये के प्रतिफल के विरूद्ध निष्पादित किया गया जिस पर 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क अर्थात 1.15 करोड़ रुपये प्रभारित किया गया था। करार की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार हस्तान्तरण विलेख का निष्पादन 15 अक्टूबर 2004 तक कर लिया जाना चाहिए था परन्तु यह निर्धारित समयावधि के अन्दर निष्पादित नहीं किया गया। करार में निर्धारित की गयी समयावधि के व्यतीत हो जाने के पश्चात् उसी सम्पत्ति के लिए दो हस्तान्तरण विलेखों का निष्पादन पुनः अन्य दो करारों के अनुसरण में किया गया और मूल करार के समय भुगतान किये गये 1.15 करोड़ रुपये के स्टाम्प शुल्क का समायोजन हस्तांतरण विलेख पर देय शुल्क के विरूद्ध किया गया। इस प्रकार स्टाम्प शुल्क के अनियमित समायोजन के फलस्वरूप 1.15 करोड़ रुपये के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ।

5.2.15.2 उ0नि0 I हापुड़ के कार्यालय के अभिलेखों की दिसम्बर 2007 में नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2006–07 के दौरान 2.87 करोड़ रुपये के प्रतिफल पर एक भूमि की बिक्री का करार निष्पादित किया गया जिस पर 11.46 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क लगाया गया। विक्रय विलेख करार की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के अन्दर निष्पादित नहीं किया गया तथा वह सम्पत्ति तीसरे पक्ष को भिन्न शीर्षक के अन्तर्गत बेच दी गयी। हस्तान्तरण विलेख[4] पर 28.65 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था परन्तु मूल करार के समय अदा किए गए 11.46 लाख रुपये को समायोजित करने के पश्चात् 17.19 लाख रुपये का ही स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया। फलस्वरूप 11.46 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ।

मामले को इंगित किये जाने के पश्चात् शासन ने जुलाई 2008 में बताया कि मामला जिलाधिकारी को पुनरीक्षण हेतु सन्दर्भित किया जायेगा। आगे की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2008)।

5.2.16 विकासकर्ता के अनुबंध के निष्पादन में स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भा0स्टा0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि किसी भूमि पर उस भूमि के मालिकों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अनुबन्ध के आधार पर भवन का निर्माण कराया जाता है कि निर्माण के पश्चात ऐसे भवन को या उसके किसी भाग को भू स्वामी और अन्य व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक रूप से धारित किया जायेगा अथवा बेचा जायेगा, तो ऐसे करार पर भूमि के मूल्य अथवा प्रतिफल की धनराशि पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय होगा।

पॉच[5] उ0नि0 कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मार्च 2003 और नवम्बर 2006 के मध्य भवन निर्माता एवं भू स्वामी के मध्य नौ करार विलेखों का निष्पादन किया गया। 2.03 करोड़ रुपये की भूमि के मूल्य पर 20.33 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया, जबकि भवन में भू स्वामी के भाग का मूल्य सर्किल रेट के अनुसार 7.72 करोड़ रुपये था जो भूमि के मूल्य से अधिक था।

[4] विलेख संख्या 10871/07, 9.8.07 को निष्पादित किया गया।
[5] उ0नि0 1 लखनऊ; उ0नि0 1,2,3 व 4 वाराणसी।

अतः 77.20 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था। इसके परिणामस्वरूप 56.87 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ।

मामले के प्रतिवेदित किये जाने के पश्चात् शासन ने जुलाई 2008 में बताया कि मामले की जॉच के लिए विभाग को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। आगे की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2008)।

5.2.17 निष्कर्ष

स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस राज्य का महत्वपूर्ण राजस्व कर है। प्रबन्ध तन्त्र में नियंत्रण की कमी अथवा खसरा जैसे अभिलेखों को भूमि/सम्पत्ति के नक्शे के साथ जमा न करना तथा निष्पादकों द्वारा फार्म VI में घोषणा न करना, जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई दर सूची में कृषि, आवासीय, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट न किए जाने से सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के मामलों में, जो कि उ0नि0 स्तर पर अनुमन्य किये गये थे, स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ। औद्योगिक विभाग से अपेक्षित विवरणों के एकत्र करने की व्यवस्था के अभाव में सार्वजनिक नीलामी के द्वारा बीमार औद्योगिक इकाइयों के क्रय विलेखों के निबन्धन से भी राजस्व को समुचित ढंग से नियन्त्रित नहीं किया जा सका। आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा के अभाव में यह प्रमाणित होता है कि विभाग का आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र कमजोर था।

5.2.18 संस्तुतियों का सारांश

शासन विचार कर सकता है कि :

- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपित किए जाने के उद्देश्य से उ0प्र0औ0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत विकसित किये गये क्षेत्रों को विकासशील क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति जारी की जाये ;
- बीमार औद्योगिक इकाइयों के निस्तारण के सम्बन्ध में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये जिससे उन पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया जा सके ;
- अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण/कब्जा लिये जाने के पश्चात् विलेखों के निबन्धन हेतु एक समय सीमा निर्धारित की जाय और निर्धारित समय सीमा के अन्दर विलेखों को निबन्धित न कराए जाने पर दण्डात्मक उपबन्ध हों;
- खसरा जैसे अभिलेखों को भूमि/सम्पत्ति के नक्शे के साथ में जमा करने तथा निष्पादकों द्वारा फार्म VI में घोषणा का जमा करना सुनिश्चित करने तथा जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा वितरित की गई दर सूची के अन्तर्गत आच्छादित कृषि, आवासीय, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया जाय तथा
- राज्य के राजस्व के हित में पट्टा की गई सम्पत्तियों के लिए न्यूनतम वार्षिक किराये के निर्धारण हेतु प्रावधान किये जायें।

अध्याय–VI
अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियॉं

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम, उत्तर प्रदेश जल निगम तथा मुरादाबाद, फैजाबाद व गाजियाबाद के विकास प्राधिकरणों, वन विभाग तथा मनोरंजन कर विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 2007–08 के दौरान की गई नमूना जॉंच में 853.59 करोड़ रुपये के ब्याज की वापसी न किये जाने आदि के 150 मामले प्रकाश में आये जो कि निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

क0 सं0	श्रेणी	मामलों की संख्या	धनराशि
ब्याज प्राप्तियॉं			
1.	ब्याज की वापसी न किया जाना	3	797.51
2.	रायल्टी की वसूली न किया जाना	1	0.02
3.	अन्य अनियमिततायें	4	12.94
	योग	**8**	**810.47**
वन्य प्राप्तियॉं			
1.	रायल्टी एवं अन्य देयों की वसूली का न किया जाना	39	21.75
2.	गिरे हुए पेड़ों/जब्त किये गये माल की नीलामी न किये जाने के कारण राजस्व की हानि	20	2.14
3.	पट्टे किराये का गलत निर्धारण	2	1.26
4.	अन्य अनियमिततायें	66	17.73
	योग	**127**	**42.88**
मनोरंजन कर			
1.	ब्याज की वसूली न किया जाना	5	0.12
2.	कर की वसूली न किया जाना	2	0.09
3.	अन्य अनियमिततायें	8	0.03
	योग	**15**	**0.24**
	महायोग	**150**	**853.59**

वर्ष 2007–08 के दौरान विभाग ने चार मामलों में 8.33 लाख रुपये की वसूली कर ली जिन्हें पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किया गया था।

26.56 करोड़ रुपये के कुछ निदर्शी मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं।

ब्याज प्राप्तियॉं

6.2 ब्याज का भुगतान न किया जाना

ऊर्जा की विभिन्न परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु, राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए, बीमार चीनी मिलों की पुनर्स्थापना एवं गन्ना मूल्यों के बकाए के भुगतान हेतु समय–समय पर ऋण प्रदान किये जाते हैं जिन पर ब्याज की देयता होती है। ऋण की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार ब्याज के भुगतान एवं ऋणों की वापसी का उत्तरदायित्व सम्बन्धित निगमों का होता है।

उत्तर प्रदेश वित्त निगम (उ0प्र0वि0नि0) कानपुर के अभिलेखों की दिसम्बर 2007 में नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 41.25 करोड़ रुपये का एक ऋण जिसे क्वासी इक्विटी[1] की संज्ञा दी गयी तथा जिस पर ब्याज की देयता थी, निगम के विभिन्न किया कलापों हेतु स्वीकृत किया गया था (जुलाई 2000)। उ0प्र0वि0नि0 द्वारा 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से जुलाई 2007 तक 21.65 करोड़ रुपये का अर्जित ब्याज देय था। निगम द्वारा न तो किसी ब्याज का भुगतान किया गया और न ही वार्षिक लेखों में इसका कोई प्रावधान किया गया।

दिसम्बर 2007 में मामले को इंगित किये जाने के पश्चात् निगम ने जनवरी 2008 में शासन को एक पत्र प्रेषित किया जिसमें ब्याज को माफ करने का अनुरोध किया गया। आगे की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2008)।

वन्य प्राप्तियाँ

6.3 राजकीय राजस्व का अनधिकृत रोक एवं उसका उपयोग

उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड V) भाग I के प्रस्तर 21 के अनुसार "संविधान के अनुच्छेदों 266, 267 तथा 284 में परिभाषित सभी धन, जो सरकारी सेवक की अपनी शासकीय क्षमता के अधीन प्राप्त किया अथवा रखा गया है, बिना किसी सम्यक विलम्ब के पूर्णतया बैंक या कोषागार में जमा किया जायेगा तथा सरकारी लेखों में सम्मिलित किया जायेगा। प्रस्तर 21ए में प्रावधानों के अतिरिक्त उपरोक्तानुसार प्राप्त की गई धनराशि विभागीय खर्चों के लिये विनियोजित नहीं की जायेगी और न ही अन्यथा उसे सरकारी लेखे से अलग रखा जायेगा ।" इस प्रस्तर में पुनः विहित है कि प्रस्तर 21 में किसी भी बात के होते हुये भी विभागीय प्राप्तियों से विभागीय व्यय का प्रत्यक्ष विनियोजन कुछ मामलों में प्राधिकृत है तथा उस मामले में भी जहॉं वन विभाग द्वारा नकदी प्राप्त की जाती है तथा उसका तत्काल स्थानीय व्यय में उपभोग कर लिया जाता है परन्तु विभागीय प्राप्तियों को सम्मिलित करते हुये राज्य के राजस्व के प्रत्यक्ष

[1] अंशों के रूप में ब्याज सहित ऋण।

विनियोजन हेतु एतद् द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों का यह अर्थ कदापि न समझा जाय कि वह इस प्रकार के विनियोजन से सम्बन्धित प्राप्तियों एवं भुगतानों को शासकीय खाते में भुगतान तथा शासकीय खाते से आहरण सम्बन्धी लेखों से बाहर रखने को प्राधिकृत करता है ।

राज्य सरकार ने वित्तीय नियमों के उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत साल वन क्षेत्रों में सहायतित प्राकृतिक पुनरुत्पादन (स0प्रा0पु0) कार्यों हेतु वन विभाग को साल वन क्षेत्रों की साल प्रजातियों की बिक्री के फलस्वरुप वन निगम से प्राप्त की गई रायल्टी का 1/3 भाग वन जमा खाते में तथा शेष 2/3 भाग राजस्व प्राप्ति के रुप में सरकारी खाते में जमा करने का आदेश किया (फरवरी 2001)। वन जमा खाते में इस प्रकार जमा की गई धनराशि तत्पश्चात् स0प्रा0पु0 के कार्यों में व्यय की जायेगी जिसका कार्यान्वयन पूर्व में आयोजनेत्तर निधि के अभाव में पूर्णरुपेण संभव नहीं था ।

तीन प्रभागीय वन अधिकारियों[2] के अभिलेखों की दिसम्बर 2006 तथा मार्च 2008 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उपरोक्त शासनादेशों के अनुपालन में साल प्रजातियों की बिक्री के फलस्वरुप वन निगम से 2001–02 से 2007–08 के दौरान प्राप्त की गई रायल्टी में से 3.44 करोड़ रुपये की राशि वन जमा खाते में जमा की गई और इस जमा धनराशि में से 2.07 करोड़ रुपये का व्यय इन प्रभागों द्वारा वर्ष 2002–08 के दौरान स0प्रा0पु0 कार्यों में किया गया। इस प्रकार, राजकीय राजस्व के एक हिस्से को कोषागार/बैंक में राजकीय राजस्व प्राप्ति के रुप में पूर्णतया जमा करने के स्थान पर उसके उपयोग सम्बन्धी राज्य सरकार के निर्णय/आदेश, वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विपरीत थे। इसके परिणामस्वरुप 3.44 करोड़ रुपये का राज्य का राजस्व अनधिकृत प्रकार से रूका रहा तथा उसमें से 2.07 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया।

मामले शासन को प्रतिवेदित किये गये; (मार्च 2008) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2008)।

6.4 मार्गस्थ फीस का अनारोपण

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4(ब)(iv) के अनुसार पांस (पीट) धरातलीय मिटटी, चट्टान तथा खनिज पदार्थ, जिनमें मुख्य एवं गौण खनिज पदार्थ सम्मिलित हैं, वन उपज के रूप में परिभाषित हैं। उ0प्र0 माइनर मिनरल्स (कनसेशन) नियमावली, 1963 के अनुसार साधारण मिट्टी भी खनिज पदार्थ[3] है। पुनश्चः 14 जून 2004 के शासनादेश, सपठित उत्तर प्रदेश टिम्बर संवहन तथा अन्य वन उपज नियमावली, 1978 के नियम 3 व 5 में प्रावधान है कि वन क्षेत्र से बाहर ले जायी जाने वाली वन उपज पर 38 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से मार्गस्थ फीस आरोपणीय है।

---

[2] प्र0व0अ0 लखीमपुर द्वारा रु0 2,11,84,109 जमा किया गया तथा रु0 1,57,96,456 उपयोग किया गया, प्र0व0अ0 बहराइच द्वारा रु0 95,65,355 जमा किया गया तथा रु0 16,00,000 उपयोग किया गया तथा प्र0व0अ0 शाहजहाँपुर द्वारा रु0 36,34,987 जमा किया गया तथा रु0 33,37,242 उपयोग किया गया।

[3] खनिज की घन मीटर से मीट्रिक टन में परिवर्तन दर :

I. बालू – 9 टन प्रति 4.50 घन मीटर

II. मिट्टी – 9 टन प्रति 5.29 घन मीटर

III. गिट्टी – 9 टन प्रति 5.29 घन मीटर

निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, (नि0सा0वा0प्र0) ललितपुर के अभिलेखों की फरवरी 2008 में की गई नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2006–07 से 2007–08 के दौरान नेशनल हाईवे अथार्टी आफ इण्डिया (एन0एच0ए0आई0) के ठेकेदार विविध प्रकार के वन उपज जैसे गिट्टी, बालू, मिट्टी को मार्गस्थ फीस अदा किये बिना ही वन क्षेत्र से बाहर ले गये। विभाग द्वारा नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 1.40 करोड़ रुपये की मार्गस्थ फीस की राशि की वसूली नहीं की गयी:

(लाख रुपये में)

सामग्री	मात्रा (घन मीटर में)	कुल मात्रा (मी0ट0 में)	प्रति मी0 ट0 मार्गस्थ फीस की दर रु0 प्र0मी0	देय मार्गस्थ फीस
बालू	606	1,212	रु0. 38	0.46
मिट्टी	2,15,521	3,66,670	रु0. 38	139.33
गिट्टी	1,040	1,769	रु0. 38	0.67
			योग	**140.46**

मामले को इंगित किये जाने के पश्चात् नि0सा0वा0प्र0 द्वारा फरवरी 2008 में बताया गया कि एन0एच0ए0आई0 द्वारा ले जाई गई वन उपज का अधिकांश भाग मिट्टी था और मिट्टी पर मार्गस्थ फीस आरोपणीय नहीं है। यू0पी0 माइनर मिनरल्स (कनसेशन) नियमावली, 1963 में निहित प्रावधान के अनुसार उत्तर मान्य नहीं है।

मामला शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2008) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2008) ।

मनोरंजन कर

6.5 कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत सिनेमा मालिकों द्वारा सप्ताह की समाप्ति के तीन दिन के अन्दर एवं केबिल संचालकों द्वारा महीने की समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर मनोरंजन कर जमा करना होता है। उल्लंघन की दशा में, सिनेमा मालिकों से प्रथम तीन माह के लिये 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से एवं उसके पश्चात 2 प्रतिशत की दर से तथा केबिल संचालकों से 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज वसूली योग्य है।

मनोरंजन कर विभाग[4] के तीन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में सितम्बर 2007 एवं दिसम्बर 2007 के मध्य यह तथ्य प्रकाश में आया कि 20 केबिल संचालकों द्वारा 23.39 लाख रुपये (जून 1999 से अक्टूबर 2006) का देय भुगतान समय से नहीं

[4] (i)सहा0 आयुक्त मनोरंजन कर, गौतमबुद्धनगर,
(ii) उप आयुक्त मनोरंजन कर, कानपुर नगर तथा
(iii) उप आयुक्त मनोरंजन कर, लखनऊ।

किया गया था। विलम्ब की अवधि पांच से 37 माह तक थी। यद्यपि कि 6.80 लाख रुपये का ब्याज आरोपणीय था फिर भी विभाग द्वारा केबिल संचालकों से इसकी वसूली नहीं की गयी।

मामला विभाग एवं शासन को जनवरी 2008 और अप्रैल 2008 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2008)।

रीमा प्रकाश

लखनऊ **(रीमा प्रकाश)**
दिनांक: 16 जनवरी, 2009 **महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा)**
उत्तर प्रदेश

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(विनोद राय)**
दिनांक: 20 जनवरी, 2009 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

संलग्नक

संलग्नक-I

कालबाधित बैंक ड्राफ्टों का नवीनीकरण न किया जाना
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–4.2.6.1)

(धनराशि रुपये में)

क0सं0	वर्ष	मामलों की संख्या	निहित धनराशि
1.	2002-03	72	3,60,200
2.	2003-04	75	2,05,660
3.	2004-05	1,715	75,93,108
4.	2005-06	1,518	74,89,199
5.	2006-07	157	7,64,132
योग		**3,537**	**1,64,12,299** अथवा 1.64 करोड़ रुपये

संलग्नक-II

आदेशों के वितरण में विलम्ब

(सन्दर्भ प्रस्तर–4.2.12)

2 नवम्बर 2002 से प्रभावी अतिरिक्त कर की संशोधित दर

(धनराशि रुपये में)

क. सं.	इकाइयों के नाम	वाहनों की संख्या	आरोपित अतिरिक्त कर	आरोपणीय अतिरिक्त कर	अन्तर
1.	कर संग्रह केन्द्र, कोटवन	1,194	12,27,352	78,46,300	66,18,948
2.	कर संग्रह केन्द्र, गोवर्धन	85	47,976	2,46,450	1,98,474
3.	कर संग्रह केन्द्र, मुगर्रा	864	8,11,626	29,87,350	21,75,720
4.	कर संग्रह केन्द्र, रक्सा	149	1,32,783	4,62,250	3,29,467
5.	कर संग्रह केन्द्र, अम्बाबाय	75	73,265	3,69,500	2,96,235
6.	कर संग्रह केन्द्र, देवरी	136	1,80,321	7,03,400	5,23,079
7.	कर संग्रह केन्द्र, कैराना	93	47,058	1,83,750	1,36,692
8.	कर संग्रह केन्द्र, पुरकाजी	124	1,24,654	7,98,200	6,73,546
9.	कर संग्रह केन्द्र, विलासपुर	35	35,921	2,53,050	2,17,129
10.	कर संग्रह केन्द्र, चौखटा	114	71,120	1,61,544	90,424
11.	कर संग्रह केन्द्र, नौबतपुर	784	5,88,280	19,39,200	13,50,920
12.	कर संग्रह केन्द्र, कुलाही	37	55,736	2,30,000	1,74,264
13.	कर संग्रह केन्द्र, तमकुहीराज	321	1,63,702	4,15,050	2,51,348
14.	कर संग्रह केन्द्र, बहेणी	136	1,47,413	5,20,050	3,72,637
15.	कर संग्रह केन्द्र, मझोला	22	21,036	97,400	76,364
16.	कर संग्रह केन्द्र, ड्रमण्डगंज	208	1,91,123	7,38,350	5,47,227
17.	कर संग्रह केन्द्र, श्रीनगर	56	38,910	87,100	52,190
18.	कर संग्रह केन्द्र, फतेहपुर सीकरी	1,322	12,81,260	55,19,000	42,37,740
19.	कर संग्रह केन्द्र, सैया	112	1,22,836	7,03,150	5,80,314
20.	कर संग्रह केन्द्र, मसौरा	88	75,354	3,14,000	2,38,646
21.	कर संग्रह केन्द्र, भागूवाला	67	87,930	5,34,900	4,46,970
22.	कर संग्रह केन्द्र, साहिबाबाद	348	2,40,256	14,62,505	12,22,249
23.	कर संग्रह केन्द्र, नोएडा बाई पास	839	5,82,645	42,21,750	36,39,105
24.	कर संग्रह केन्द्र, भोपुरा	671	4,12,765	35,33,623	31,20,858
25.	कर संग्रह केन्द्र, महराजपुर	891	75,1,993	60,89,250	53,37,257
26.	कर संग्रह केन्द्र, कालिन्दीकुंज	515	4,04,826	18,89,700	14,84,874
	योग	**9,286**	**79,14,141**	**4,23,06,822**	**3,43,92,681**

17 मार्च 2006 से प्रभावी अतिरिक्त कर की संशोधित दर

(धनराशि रुपये में)

क. सं.	इकाइयों के नाम	वाहनों की संख्या	आरोपित अतिरिक्त कर	आरोपणीय अतिरिक्त कर	अन्तर
1.	कर संग्रह केन्द्र, कोटवन	3,426	32,19,146	49,48,680	17,29,534
2.	कर संग्रह केन्द्र, गोवर्धन	17	39,500	64,600	25,100
3.	कर संग्रह केन्द्र, मुगर्रा	185	5,77,050	10,73,510	4,96,460
4.	कर संग्रह केन्द्र, रक्सा	23	1,12,300	2,29,740	1,17,440
5.	कर संग्रह केन्द्र, अम्बाबाय	34	1,78,550	3,65,320	1,86,770
6.	कर संग्रह केन्द्र, देवरी	117	2,56,650	5,01,530	2,44,880
7.	कर संग्रह केन्द्र, कैराना	15	1,28,900	2,95,840	1,66,940
8.	कर संग्रह केन्द्र, हरीनगर	10	44,650	81,080	36,430
9.	कर संग्रह केन्द्र, पुरकाजी	387	4,74,400	71,642	2,41,742
10.	कर संग्रह केन्द्र, बिलासपुर	77	1,15,000	2,04,140	89,140
11.	कर संग्रह केन्द्र, कालिन्दीकुंज	2,560	40,34,800	92,47,560	52,12,760
12.	कर संग्रह केन्द्र, छोटमलपुर	39	58,300	96,280	37,980
13.	कर संग्रह केन्द्र, मुहण्ड	87	1,10,200	1,93,240	83,040
14.	कर संग्रह केन्द्र, सरसवां	85	2,72,570	4,02,370	1,29,800
15.	कर संग्रह केन्द्र, उदी	32	1,94,100	3,58,220	1,64,120
16.	कर संग्रह केन्द्र, चौखटा	63	4,20,400	7,77,570	3,57,170
17.	कर संग्रह केन्द्र, नौबतपुर	1,238	16,84,250	31,34,820	14,50,570
18.	कर संग्रह केन्द्र, कुलही	51	2,93,300	5,44,360	2,51,060
19.	कर संग्रह केन्द्र, तमकुहीराज	22	92,750	1,73,830	81,080
20.	कर संग्रह केन्द्र, बहेणी	7	3,400	4,080	680
21.	स0प0अ0 आगरा (अ0भा0टू0प0)	11	30,92,000	75,35,360	44,43,360
22.	कर संग्रह केन्द्र, ड्रमण्डगंज	57	2,74,900	4,99,690	2,24,790
23.	कर संग्रह केन्द्र, श्रीनगर	8	25,900	36,760	10,860
24.	कर संग्रह केन्द्र, फतेहपुर सीकरी	2,800	41,93,530	61,28,230	19,34,700
25.	कर संग्रह केन्द्र, सैया	75	4,42,980	8,52,660	4,09,680
26.	कर संग्रह केन्द्र, मसौरा	19	64,400	1,82,920	1,18,520
27.	कर संग्रह केन्द्र, भागूवाला	52	1,14,324	2,15,990	1,01,666
28.	कर संग्रह केन्द्र, नोएडा बाई पास	1,652	31,90,450	67,32,580	35,42,130
29.	कर संग्रह केन्द्र, भोपुरा	150	5,28,200	11,78,300	6,50,100
30.	कर संग्रह केन्द्र, महराजपुर	1,177	24,84,950	50,28,990	25,44,040
31.	कर संग्रह केन्द्र, शाहिबाबाद	186	4,19,550	9,05,450	4,85,900
32.	कर संग्रह केन्द्र, लोनी	18	49,900	1,07,600	57,700
	योग	**13,670**	**2,71,91,300**	**5,28,17,442**	**2,56,26,142**
					3,43,92,681
	महायोग				**6,00,18,823**

6 करोड़ रुपया

संलग्नक – III

आवासीय तथा वाणिज्यिक भूमि का मूल्यांकन कृषि भूमि की भाँति किया गया
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–5.2.9.1)

(लाख रुपये में)

क0सं0	जनपद	इकाई का नाम	लेखपत्र की संख्या	स्टाम्प शुल्क में कमी
1.	आगरा	उप–निबंधक – II	10	101.84
	–तदैव–	उप–निबंधक – IV	19	101.75
2.	अलीगढ़	उप–निबंधक – II	4	7.32
	–तदैव–	उप–निबंधक – III	1	1.91
3.	इलाहाबाद	उप–निबंधक – II	5	12.97
4.	बाराबंकी	उप–निबंधक, नवाबगंज	8	118.10
5.	गौतम बुद्ध नगर	उप–निबंधक – I, नोएडा	3	7.35
	–तदैव–	उप–निबंधक – II, नोएडा	6	14.26
	–तदैव–	उप–निबंधक – III, नोएडा	6	19.65
	–तदैव–	उप–निबंधक, ग्रेटर नोएडा	3	10.60
6.	गजियाबाद	उप–निबंधक – I	1	3.15
	–तदैव–	उप–निबंधक – II	5	41.39
	–तदैव–	उप–निबंधक – III	9	46.27
	–तदैव–	उप–निबंधक – IV	8	266.12
	–तदैव–	उप–निबंधक, – II, हापुड़	8	51.41
7.	गोरखपुर	उप–निबंधक – I	2	4.26
8.	हमीरपुर	उप–निबंधक	2	5.70
9.	जे0पी0 नगर	उप–निबंधक, अमरोहा	1	1.66
10.	जौनपुर	उप–निबंधक, मड़ियाहुँ	3	18.77
	–तदैव–	उप–निबंधक, मछली शहर	2	3.53
	–तदैव–	उप–निबंधक, सदर	1	0.80
11.	झाँसी	उप–निबंधक – I	3	63.92
	–तदैव–	उप–निबंधक – II	3	102.93
12.	कानपुर	उप–निबंधक – I	1	2.08
	–तदैव–	उप–निबंधक – II	1	13.41
	–तदैव–	उप–निबंधक – III	6	31.44
	–तदैव–	उप–निबंधक – IV	1	0.56
13.	लखनऊ	उप–निबंधक – I	3	42.81
	–तदैव–	उप–निबंधक – II	3	17.48
	–तदैव–	उप–निबंधक – III	1	8.64
	–तदैव–	उप–निबंधक – V	1	7.33
14.	मेरठ	उप–निबंधक – III	6	11.78
	–तदैव–	उप–निबंधक – IV	7	127.69
15.	मुरादाबाद	उप–निबंधक – I	5	18.48
	–तदैव–	उप–निबंधक – II	17	487.74
16.	श्रावस्ती	उप–निबंधक, भिन्गा	1	2.18
17.	सुल्तानपुर	उप–निबंधक, सदर	2	7.55
18.	वाराणसी	उप–निबंधक – II	1	0.54
	–तदैव–	उप–निबंधक, राम नगर	3	9.34
	योग	**39**	**172**	**1,794.71**

संलग्नक – IV
भूमि तथा भवन का गलत मूल्यांकन
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–5.2.9.2)

(लाख रुपये में)

क0सं0	जनपद	इकाई का नाम	लेखपत्र की संख्या	स्टाम्प शुल्क में कमी
1.	आगरा	उप–निबंधक – I	6	10.22
	–तदैव–	उप–निबंधक – II	5	20.91
	–तदैव–	उप–निबंधक – IV	2	5.81
2.	अलीगढ़	उप–निबंधक – I	2	43.18
	–तदैव–	उप–निबंधक – II	2	3.89
3.	इलाहाबाद	उप–निबंधक – II	14	8.01
4.	फैजाबाद	उप–निबंधक, सदर	2	3.21
5.	गौतम बुद्ध नगर	उप–निबंधक – I	1	0.50
	–तदैव–	उप–निबंधक – II	1	0.42
	–तदैव–	उप–निबंधक – III	4	342.79
	–तदैव–	उप–निबंधक, ग्रेटर नोएडा	2	3.12
6.	गाजियाबाद	उप–निबंधक – I	5	163.78
7.	गोरखपुर	उप–निबंधक – I	4	3.04
8.	जौनपुर	उप–निबंधक, सदर	2	4.80
	–तदैव–	उप–निबंधक, मछली शहर	1	1.84
9.	झाँसी	उप–निबंधक – I	3	3.44
	–तदैव–	उप–निबंधक – II	6	4.10
10.	कानपुर	उप–निबंधक – I	5	4.87
	–तदैव–	उप–निबंधक – IV	15	13.99
11.	लखनऊ	उप–निबंधक – I	8	13.25
	–तदैव–	उप–निबंधक – II	5	142.98
	–तदैव–	उप–निबंधक – III	8	20.37
	–तदैव–	उप–निबंधक – IV	6	30.29
	–तदैव–	उप–निबंधक – V	10	28.29
12.	मेरठ	उप–निबंधक – II	1	1.12
	–तदैव–	उप–निबंधक – III	4	6.83
13.	मुरादाबाद	उप–निबंधक – I	2	10.16
14.	सुल्तानपुर	उप–निबंधक, सदर	1	0.94
15.	वाराणसी	उप–निबंधक – I	1	3.53
	–तदैव–	उप–निबंधक – II	8	33.27
	–तदैव–	उप–निबंधक – III	5	44.93
	–तदैव–	उप–निबंधक, राम नगर	17	6.76
योग		**32**	**158**	**984.64**

संलग्नक – V

भूमि तथा भवन का वाणिज्यिक दर के बजाय आवासीय दर पर मूल्यांकन

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–5.2.9.3)

(लाख रुपये में)

क0सं0	जनपद	इकाई का नाम	लेखपत्र की संख्या	स्टाम्प शुल्क में कमी
1.	अलीगढ़	उप–निबंधक – I	5	9.05
	–तदैव–	उप–निबंधक – II	3	7.63
2.	इलाहाबाद	उप–निबंधक – II	1	5.15
3.	बुलन्दशहर	उप–निबंधक – I	1	1.30
4.	फैजाबाद	उप–निबंधक, सदर	1	0.26
5.	गाजियाबाद	उप–निबंधक – I	1	15.88
	–तदैव–	उप–निबंधक – III	1	1.31
	–तदैव–	उप–निबंधक – IV	1	12.99
	–तदैव–	उप–निबंधक– I, हापुड	4	4.09
6.	गौतम बुद्ध नगर	उप–निबंधक, ग्रेटर नोएडा	1	258.28
7.	जौनपुर	उप–निबंधक, सदर	4	46.32
	–तदैव–	उप–निबंधक, मछली शहर	1	1.01
8.	झाँसी	उप–निबंधक – I	4	21.50
	–तदैव–	उप–निबंधक – II	1	0.21
9.	कानपुर	उप–निबंधक – I	7	49.83
	–तदैव–	उप–निबंधक – II	1	7.12
	–तदैव–	उप–निबंधक – IV	4	47.06
10.	लखनऊ	उप–निबंधक – I	2	3.49
	–तदैव–	उप–निबंधक – II	2	15.44
	–तदैव–	उप–निबंधक – V	2	8.34
11.	मुरादाबाद	उप–निबंधक – I	3	4.14
12.	सुल्तानपुर	उप–निबंधक, सदर	3	1.93
13.	वाराणसी	उप–निबंधक – II	2	3.46
	–तदैव–	उप–निबंधक – III	2	23.84
योग		**24**	**57**	**549.63**

संलग्नक – VI

मानक पट्टा किराया निर्धारित न किया जाना
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–5.2.10)

क्र0सं0	इकाई का नाम	विक्रय सं0 विलेख सं0 निबन्धन तिथि	सम्पत्ति विवरण पट्टे की अवधि	सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन (करोड़ रुपये में)	बैंक की समान्य ब्याज दर @ 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष	ब्याज के आधार पर विलेख का मूल्यांकन	वसूलनीय स्टाम्प शुल्क	विलेख में उल्लिखित मूल्य	अदा स्टाम्प शुल्क
					(लाख रुपये में)			(रुपये में)	
1.	उ0नि0 इटावा	2559/1662 (24.3.04)	ग्राम मोहनपुर, मनिक, इटावा क्षे0 2760 व0मी0 (20 वर्ष)	1.66	13.25	66.24	6.62	60	100
2.	उ0नि0 जौनपुर	2703/3324 (6.7.05)	ग्रा0 हसनपुर पर0 हवेली तह0 सदर जौनपुर क्षे0 2993 व0मी0 (30 वर्ष)	1.20	9.58	57.47	5.75	72	100
3.	––तदैव––	2706/3362 (8.7.05)	ग्रा0 हसनपुर पर0 हवेली तह0 सदर जौनपुर क्षे0 1996. 25 व0मी0 (20 वर्ष)	0.79	6.39	31.94	3.19	60	100
4.	––तदैव––	2706/3363 (8.7.05)	ग्रा0 हसनपुर पर0 हवेली तह0 सदर जौनपुर क्षे0 1195. 75 व0मी0 (30 वर्ष)	0.48	3.82	19.13	1.91	60	310
योग				**4.13**	**33.04**	**174.78**	**17.47**	**252**	**610**

संलग्नक – VII

विभिन्न प्रकार के पट्टों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–5.2.12.1)

(लाख रुपये में)

क0सं0	जनपद	इकाई का नाम	लेखपत्र की संख्या	स्टाम्प शुल्क में कमी
1.	आगरा	उप–निबंधक – I	1	1.86
	––तदैव––	उप–निबंधक – II	2	10.81
2.	अलीगढ़	उप–निबंधक – I	3	11.41
	––तदैव––	उप–निबंधक – II	1	7.77
3.	इलाहाबाद	उप–निबंधक – II	2	8.48
4.	बुलन्दशहर	उप–निबंधक, सदर	1	3.37
5.	गौतम बुद्ध नगर	उप–निबंधक– III, नोएडा	1	29.88
	––तदैव––	उप–निबंधक, ग्रेटर नोएडा	1	6.03
6.	गाजियाबाद	उप–निबंधक – II	1	0.54
	––तदैव––	उप–निबंधक – I, हापुड	4	9.49
7.	गोरखपुर	उप–निबंधक– I	3	2.37
8.	हरदोई	उप–निबंधक, सदर	1	7.06
9.	जे0पी0 नगर	उप–निबंधक, सदर	1	1.30
10.	जौनपुर	उप–निबंधक, सदर	2	11.92
	––तदैव––	उप–निबंधक, मछलीशहर	1	42.03
11.	झाँसी	उप–निबंधक– I	4	10.42
	––तदैव––	उप–निबंधक– II	3	5.78
12.	कानपुर	उप–निबंधक– I	1	8.42
	––तदैव––	उप–निबंधक– III	1	13.40
13.	लखनऊ	उप–निबंधक– I	1	4.96
	––तदैव––	उप–निबंधक– III	1	2.89
	––तदैव––	उप–निबंधक, मोहन लाल गंज	1	6.80
14.	मेरठ	उप–निबंधक– I	1	18.09
	––तदैव––	उप–निबंधक– II	2	6.74
	––तदैव––	उप–निबंधक– IV	6	100.22
15.	मुरादाबाद	उप–निबंधक– I	4	86.83
	––तदैव––	उप–निबंधक– II	2	56.57
16.	सुल्तानपुर	उप–निबंधक, सदर	1	76.13
17.	वाराणसी	उप–निबंधक– III	4	40.59
	––तदैव––	उप–निबंधक– IV	3	13.04
18.	देवरिया	उप–निबंधक, रूद्रपुर	1	7.35
19.	मैनपुरी	उप–निबंधक, सदर	1	4.70
20.	मऊ	उप–निबंधक, मोहम्मदाबाद, गोहना	1	1.34
21.	गाजियाबाद	उप–निबंधक, सदर	1	1.60
22.	इटावा	उप–निबंधक, सदर	1	7.96
23.	बलिया	उप–निबंधक, सदर	1	2.15
	––तदैव––	उप–निबंधक, बेल्थरा रोड	3	20.91
	––तदैव––	उप–निबंधक, बेरिया	1	1.72
	––तदैव––	उप–निबंधक, सिकन्दरपुर	1	1.22
योग		**39**	**71**	**654.15**